हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

24 मार्च, 1981

(द्वितीय बैठक)

खण्ड 1, अंक 12

अधिकृत विवरण

विशय सूची

मंगलवार 24 मार्च, 1981

	पृश्ठ संख्या
वर्श 1981–82 के बजट की डिमांडज फार ग्रान्टस पर चर्चा तथा मतदान	(12)1
बैठक का समय बढ़ाना	(12)49
वर्श 1981–82 के बजट की डिमांडज फार ग्रान्टस पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)	(12)50

हरियाणा विधान सभा

मंगलवार 24 मार्च, 1981

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर 1, चण्डीगढ़, में 15.00 बजे हुई। अध्यक्ष (कर्नल राव राम सिंह) ने अध्यक्षता की।

वर्श 1981–82 के बजट की डिमांडज फार ग्रान्टस पर चर्चा तथा मतदान

श्री अध्यक्ष: मैम्बर साहेबान, अब वर्श 1981–82 के बजट की डिमांडज फार ग्रांटस पर डिस्कशन होगी। पहली प्रैक्टिस के मुताबिक और हाउस का समय बचाने के लिये आर्डर पेपर पर रखी गई सभी डिमांडज फार ग्रांटस एक साथ पढ़ी गई और पेश की गई मानी जाएंगी। आनरेबल मैम्बर्ज किसी भी डिमांड पर डिस्कशन पर कर सकते हैं लेकिन बोलते समय वे उन डिमांड का नम्बर बता दें जिस पर वे बोलना चाहते हैं।

That a sum not exceeding Rs. 48026935 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1981-82 in respect of the charges under **Demand No. 4-Revenue**.

That a sum not exceeding Rs. 541022665 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1981-82 in respect of the charges under **Demand No. 15-Irrigation**.

That a sum not exceeding Rs. 375502500 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1981-82 in respect of the charges under **Demand No. 17-Agriculture**.

That a sum not exceeding Rs. 144446030 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1981-82 in respect of the charges under **Demand No. 21-Community Development**.

That a sum not exceeding Rs. 42510200 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1981-82 in respect of the charges under **Demand No. 22-Cooperation**.

डिस्मशन शुरू करने से पहले मैं हाउस की सैंस लेना चाहता हूं कि हर एक मैम्बर को बोलने के लिये 10—10 मिनट का समय दिया जाए तो क्या ठीक रहेगा?

आवाजें: ठीक है जी।

श्री अध्यक्ष: ठीक है, दस मिनट के बाद सैक्रेटरी साहब घंटी बजा देंगे, उसके बाद मैम्बर साहब को अपनी स्पीच एक–दो मिनट में खत्म करनी होगी।

श्री गुलजार सिंह (राजौन्द): स्पीकर साहब, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। सबसे पहले मैं डिमांड न. 17 पर बोलूंगा जोकि एग्रीकल्चर से सम्बन्ध रखती है। इसमें 375502500 रूपए की राशि की मांग की गई है। स्पीकर साहब, एग्रीकल्चयर का महकमा बहुत ही अहम महकमा है और इस महकमें के लिये जितनी भी ज्यादा से ज्यादा रकम लगाई जा सके मैं तो यह कहूंगा कि वह लगानी चाहिए क्योंकि एग्रीकल्चर के साथ हमारी स्टेट का ही नहीं बल्कि सारे देश का भविश्य जुड़ा हुआ है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जितने रूपये की मांग की गई है पहले भी इसी तरह से डिमांड आती रही है, उसको मदेनजर रखते हुए जहां तक मैं महसूस करता हूं, रूपए का जो इस्तेमान होता है वह सही ढंग से नहीं होता। स्पीकर साहब, पिछले दिनों भी यह चर्चा थी, अब सैशन में भी यह चर्चा आई तथा देहात में भी लोग आमतौर पर कहते रहते हैं कि बीजों की तकसीम में धांधलेबाजी होती है। जितने भी अच्छे बीज थे जैसे चने का बीज था, गेहूं का बीज था या जीरी वगैरह का बीज था इनमें बहुत धांधली हुई है। रसूख वाले लोग बीज उठाकर इधर उधर बेच देते हैं और जो गरीब व बेसहारा किसान हैं, उनको

बीज नहीं मिलते। गरीब लोग दौड़ भाग में लगे रहते हैं कि हमें भी अच्छा बीज मिल जाये।

इसके साथ–साथ मैं खाद के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। खाद की आज बहुत जरूरत है और खास–कर हरियाणा की जमीन तो आद खाद की आदि हो चुकी है। जैसे एक बीमार आदमी को अपना जीवन बचाने के लिये दवाई की जरूरत होती है उसी तरह से हरियाणा की जमीन को आज खाद की जरूरत है। लेकिन उस खाद में भी आज बुरी तरह से मिलावट की जा रही है। मैं सरकार के नोटिस में लाना चाहता हूं कि पिछले दिनों खाद के डिपो–होल्डर्ज ने किसानों के साथ बहुत ही अन्याय और जुल्म किया हैं। मैं खासकर इन्दरी के डिपो होल्डर की मिसाल देता हूं। उसने लाखों रूपए की खाद इस तरह की बेची पता नहीं वह क्या चजी थी। अगर थोडी सी उस खाद को हाथ पर रखें तो वह हवा में उड़ जाती थी। किसान खाद खरीदने के लिये पता नहीं कहां–कहां से पैसे का इन्तजाम करता है फिर भी एक तो उसे खाद मंहगी मिलें और ऊपर से वह सही न मिले तो यह किसान के साथ बहुत ही बे–इंसाफी है। इसलिये सरकार को इस तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए। स्पीकर सहाब, खेती–बज्ञड़ी में काम आने वाली जितनी भी चीजें हैं जैसे दवाई है खाद, है और बीच हैं इनके भाव रात–दिन बड़ी तेज रफ्तार के साथ बढ़ रहे हैं। हमारे सरकारी बैचों पर बैठे हुए भाइयों ने कहा कि गेहूं का भाव 130 रूपये कर दिया है। मैं उनसे यह कहूंगा कि आज

की लागत को देखते हुए यह भाव कम है। हम तो यह कहते हैं कि आप 117 की बजाए भी 115 रूपये का भाव कर दो लेकिन जो खेती बाड़ी में इस्तेमाल होने वाली चीजें है, वे सस्ती दर पर दो। यह नहीं होना चाहिए कि खाद का भाव तो 72 की बजाय 105 कर दिया जाए और गेहूं का भाव केवल 130 रूपये। यह कोई ज्यादा शोर मचाने वाली बात नहीं है। आपको चाहिए की खेती पर खर्च होने वाली चीजों के भावों का भी ध्यान रखें। यह हमारी स्टेट के लिये ही नहीं बल्कि सारे देश के लिये बहुत जरूरी है क्योंकि हमारा सारा कुछ खेती से ही जुड़ा है। अगर दिल से चाहते हो कि किसान का भला हो तो किसान को अच्छा बीच दो, सस्ती खाद दो तथा हर किस्म की और भी सहूलियतें दो। हम देखते आए हैं और सबको पता है कि अरब के जितने भी देश है, उन्होंने तेल को एक ऐसा हथियार बना रखा है कि सारी दुनिया उनके मुहं की तरफ देखती है और वह हर किसी को झुकने के लिये मजबूर करते हैं। अगर हमारे नेता ओर सरकार ईमानदारी के साथ खेती को बढ़ावा दें तो हमारा किसान इतना मेहनती और काम करने वाला है कि आज हमारा देश और खास कर हमारा हरियाणा प्रान्त एग्रीकल्चर को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। जब हमारे पास अनाज के पूरे भंडार होंगे तो हर किसी को हमारे मुंह की तरफ देखना पड़ेगा।

स्पीकर साहब, इसके साथ साथ मैं डिमांड न. 15 जोकि इरीगेशन के बारे में है, पर भी कुछ कहना चाहता हूं। मैं

पहले सिंचाई का जिक्र करूंगा। स्पीकर साहब, सिंचाई खेती बाड़ी एक ही चीज है क्योंकि सिंचाई के बिना खेती बाड़ी नहीं हेा सकती। स्पीकर साहब, बार बार दोना तरफ से तानेबाजी होती है कि एस.वाई.एल. का पानी इन्होंने अपने टाईम में नहीं दिलाया और अब जो सरकार है इसने नहीं दिलाया। मैं इस झगड़े में नह पड़ते हुए सरकार से और अपने भाईयों से भी रिक्वैस्ट करूंगा कि एस.वाई.एल. का इतना अहम मामला है कि इसके लिए कुछ भी किया जाए, हिन–रात नेक नीयती से लगना चाहिए और हरियाणा के लिए काम करके दिखा देना चाहिए। जब यह काम पूरा होगा, तो कौन नहीं कहेगा कि फलां सरकार ने यह काम किया है? लेकिन झगड़े बाजी में पड़ने से कोई लाभ नहीं होगा।

स्पीकर साहब, अब मैं इरीगेशन के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। आज क्वैश्चन आवर में मैंने एक सप्लीमैन्टरी के जरिए भी मंत्री जी से इस बारे में पूछा था तो मंत्री जी ने जवाब दिया था कि आज तक ऐसी कोई शिकायत किसी किसान ने नहीं की कि नहरी पानी की कमी की वजह से फसल को एक पानी मिला हो। स्पीकर साहब, भगवान का शुक्र है कि बारिश हो गई। बारिश के बिना नहरों में पानी की इतनी कमी रहती है, कि फसल में एक बार भी पानी लगना मुश्किल हो जाता हैं जहां तक पटवारी लोगों का ताल्लुक है, वे गिरदावरी पूरी इन्दराज करते हैं चाहे किसानों ने एक पानी ही क्यों न लगाया हो लेकिन उनको आबियाना पूरा देना पड़ता है। स्पीकर साहब, मैं अपने हल्के राजौंद के बारे में

एक बात कहनाचाहता हूं कि वहां पर कई किसानों की फसलों में एक भी पानी नहीं लगा है लेकिन फिर भी पटवारी ने गिरदावरी पूरी इंदराज कर दी हैं। स्पीकर साहब, इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे लिये सिंचाई एक इतना जरूरी मामला है जिसके ऊपर सारा हरियाणा निर्भर करता है। इसलिये सिंचाई की तरफ सरकार को पूरा ध्यान देना चाहिए।

स्पीकर साहब, सिंचाई के लिए बिजली भी बहुत बड़ा रोल अदा करती है। पिछले दिनों बिजली की बहुत ही बुरी हालत रही। यों कहने से कुछ नहीं होता कि बिजली 12 घंटे रहती है। पिछले दिनों किसानों ने बादलों में चमकती हुई बिजली बेशक देख ली हो लेकिन किसानों के टयूबवैलों को मुश्किल से दो या तीन घंटे बिजली मिली होगी। यह मैं मानता हूं कि बिजली की बहुत कमी रही है जिसके कारण कम बिजली देनी पड़ी लेकिन यह नहीं होना चाहिए कि चार घंटळे बिजली देकर 8 घंटे बताएं। इसके अलावा यह भी नहीं होना चाहिए कि अब बिजली आई अभी चली गई। जब किसान अपने टयूबवैलों पर पहुंचता है तो बिजली चली जाती है। इस तरह से किसान को परेशान नहीं करना चाहिए। यदि किसानों को बिजली देनी है तो सही ढंग से और सही तरीके से दी जाए ताकि वे बेकार में परेशान न हों, भले ही आप 4–5 घंटे के लिये बिजली क्यों न दें। स्पीकर साहब, इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। धन्यवाद।

चौ. बीरेन्द्र सिंह (उचाना कलां): स्पीकर साहब, मैं डिमांड नम्बर 15 जोकि सिंचाई से सम्बन्ध रखती है, डिमांड नम्बर 17 जो कृशि से सम्बन्ध रखती है और इनके साथ–साथ डिमांड नम्बर 22 जो कोआप्रेशन से सम्बनध रखती है इन तीनों के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, जहां तक खेती–बाड़ी का ताल्लुक है और खेती बाड़ी के लिये जिस प्रकार से इस सरकार ने इस बजट के अन्दर पैसे का प्रावधान किया है, उसको मदे नजर रखते हुए यह पता चलता है कि सरकार काफी पैसा इन मदों पर खर्च कर रही है। अध्यक्ष महोदय, लगभग 40 करोड़ रूपया जो कृशि की मद में रखा गया है, यह टोटल बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है।

अध्यक्ष महोदय आप सिंचाइ की मद को ही ले लीजिए। इस मद के तहत कहीं नहरें पक्की की जाएंगी, कहीं खाल पक्के किए जायेंगे और कहीं फलड की रोकथाम के लिए काम किए जाएंगे। ये काम होते भी हैं और होते नजर भी आ रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, जो 40 करोउ़ रूपया कृशि की मद में रखा गया है, इसके तहत एग्रीकल्चरल डिपार्टमैंट बहुत सी छोटी छोटी स्कीम्ज बनाएगा लेकिन मेरा कहना यह है कि उन स्कीम्ज के तहत जितना पैसा रखा जाता है, उसका सही फायदा किसानों को नहीं होता है और न ही वह पैसा किसान तक पहुंच पाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में यह बात कहना चाहता हूं और सदन के भाई इस बात को मानेंगे कि कौन से किसान ऐसे हैं जिनको

सरकारी महकमे के आदमी जाकर यह कहते हैं कि यह कीट नाशक दवाईयां हैं, इन्हें आप ले लीजिए? ऐसा कोई सरकारी आदमी नहीं है तो किसानों को जा कर यह कहता हो कि आप यह कीट नाशक दवाई ले लें। चन्द किसान ऐसे हैं जिनके पास अच्छे साधन हैं, जिनको मैं बड़े जमींदार कह सकता हूं। उनके यहां डिमांस्ट्रेशन प्लाटस होते हैं। उनके पास कीट नाशक दवाईयों के लिये और बीज के लिये सरकारी महकमों के आफिसर्ज जाते हैं। अध्यक्ष महोदय इन स्कीम्ज से छोटे किसानों को जो सही तौर पर खेती–बाड़ी पर निर्भर करते हैं उनको फायदा नहीं होता है। बड़े किसान का बेटा फौज में आफिसर होता है, स्पीकर साहब आप भी किसान के बेटे हैं, आप भी फौज में आफिसर रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो बिजनैस या दुकान का धंधा करते हैं। जितना फायदा उनको दिया जाता है उतना फायदा उन किसानों को नहीं दिया जाता जो केवल खेतीबाड़ी पर ही निर्भर करते हैं। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा के अन्दर ट्रेक्टर किसान का खेती करने का एक बहुत बड़ा साधन है चाहे वह छोटा किसान हो चाहे बड़ा हो, किसान अपनी क्षमता के मुताबिक ट्रैक्टर अवश्य खरीदता है। हरियाणा में एक ट्रैक्टर पर सेल टैक्स 4 परसैन्ट वसूल किया जाता है जबकि हमारे पड़ोस के स्टेट पंजाब और राजस्थान में सेल्ज टैक्स एक परसैंट वसूल किया जाता हैं। इस प्रकार हरियाणा के किसान को एक ट्रैक्टर पर एक हजार से 1600 रूपये ज्यादा टैक्स अदा करना पड़ता है। इससे स्टेट को जो नुक्सान होता है वह यह है कि जो हमारे हरियाणा के किसान

बार्डर्ज पर बैठे हैं या तो वे राजस्थान में अलवर से ट्रैक्टर खरीदते हैं या गंगा नगर से खरीदते हैं तो पंजाब में फाजिलका अबोहर से खरीदते हैं। इस प्रकार से हमारी स्टेट में ट्रैक्टर की सेल बहुत कम होती है जिससे स्टेट एक्सचैकर पर असर पड़ता है। यदि सेल्ज टैक्स चार परसैंट से घटा कर एक परसैंट कर दिया जाए तो सरकार और किसान को दोनों को फायदा हो सकता है। एक तो एक परसैन्ट सेल्ज टैक्स करने से किसान को एक या दो हजार रूपए सस्ता ट्रैक्टर मिलेगा और दूसरा ट्रैक्टरों की सेल ज्यादा होने से सरकार के खजाने में ज्यादा पैसा जाएगा। इसलिये मेरी सरकार से गुजारिश है कि सेल्ज टैक्स चार परसैन्ट से घआ कर एक परसैन्ट किया जाए।

श्री अध्यक्ष: क्या राजस्थान और पंजाब स्टेटस में सेल्ज टैक्स नहीं है?

चौ. बीरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, दौनों स्टेटस में एक परसैन्ट सेल्ज टैक्स है। हरियाणा में चार परसैन्ट हैं। दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे नए कृशि मंत्री चौ. शमशेर सिंह सुरजेवाला बने हैं इन्होंने एलान किया था कि फसलों पर बीमा पालिसी लागू की जाएगी। इन्होंने कुछ चन्द एक फसलें और कुछ खास इलाके इस पालिसी के लिए सिलैक्अ किए हैं। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो बीमा की दर रखी है जो किसान को अपनी फसल के लिये अदा करनी पड़ेगी वह बहुत ज्यादा रखी है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कृशि मंत्री जी से गुजारिश करूंगा

कि एक तो यह जो बीमा पालिसी लागू करने की बात है यह सारी स्टेट में लागू की जाए और दूसरे जो बीमा की दर है उसका घटाया जाए। अगर सरकार किसी खास कम्पनी के साथ मिल कर बीमा करती है तो शायद बीमा की दर कम न कर सके लेकिन मेरा सुझाव है कि हरियाणा एग्रीकल्चरल मार्किटिंग बोर्ड के पास 10 करोड से ज्यादा रूपया ऐसा रखा हुआ है जोकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक वह पैसा किसानों की बहबूदी के अलावा और कहीं खर्च नहीं किया जा सकता। अध्यक्ष महोदय, हम उस पैसे का इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। यह बात मैंने पिछले सैशन में भी कही थी और आज फिर दोहराता हूं। जिस फसल का बीमा किसान करवायेगा, अगर उसकी उस फसल को किसी कारण नुक्सान होगा तो वह नुक्सान उस पैसे में से अदा करना पड़ेगा। अगर ऐसा फण्ड कायम किया जाए और फसल का बीमा मार्किटिंग बोर्ड के थ्रू किया जाए तो किसान को ज्यादा सहूलियत मिलेगी।

स्पीकर साहब, दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा जो किसान के हक की बात है किसान से फसल बेचने पर फीस इकट्ठी की जाती है। यह फीस चाहे किसी भी शक्ल में हो, किसान सरकार को देता है और जो उसको फसल की आमदनी होती है उससे डीजल, खाद वगैरा खरीदता है। आप देखें, डीजल के साथ रोजाना बढ़ते जा रहे हैं। खाद का भावन बढ़ता जा रहा हैं। बीज का भाव बढ़ता जा रहा है। इनको सबडिडाइज करने के लिए सैपरेट फण्ड कायम किया जाए ताकि मुसीबत के समय

सिकान उस पैसे को इस्तेमाल कर सके। फर्ज करो एक किसान के पास ट्रैक्टर है और वह 500 लिटर डीजल हर महीने कंज्यूम करता है तो उसको उस फंड से, उस मद से हर महीने सबसिडी मिलें, सस्ता डीजल मिलें, बीज खरीदने के लिये पैसा मिले ओर उसका इस मामले में सीधा सम्पर्क मार्किटिंग बोर्ड के साथ होना चाहिए ताकि जितने बीज की उसको जरूरत हो, जितने डीजल की जरूरत हो, बिना किसी रूकावट के किसान मार्किटिंग बोर्ड से प्राप्त कर सके ताकि किसान को यह महसूस न हो कि वह बड़े कौस्टली इम्पलीमैंटस इस्तेमाल करके अनाज पैदा करता है। अगर ज्यादा कौस्टली इम्पलीमैंटस डीजल, खाद, बीज वगैरा इस्तेमाल करके किसान फसल पैदा करता है तो उसको मार्किटिग बोर्ड की तरफ से सबसिडी मिलनी जरूरी है। स्पीकर साहब, जनता पार्टी के शासनकाल में, जब लोकदल के नेता चौ. चरण सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे, दो साल के अर्से में गेहूं के भाव में केवल 5 रूपये की बढ़ौतरी हुई थी ओर वह भी अढ़ाई रूपये पहले साल में और अढ़ाई रूपये दूसरे साल में। (व्यवधान)

चौ. उदय सिंह दलाल: उस वक्त डीजल सस्ता कर दिया था। (व्यवधान)

चौ. बीरेन्द्र सिंह: मैं क्रिटिसिज्म के तौर पर कुछ नहीं कह रहा, मैं तो फैक्चुअल पोजीशन ही बता रहा हूं कि उस दो साल के अर्से के अन्दर 600 करोड़ रूपये के नये टैक्स उस वक्त हिन्दुस्ता के फाइनांस मिनिस्टर ने लगाये थे और इसके एवज में

अगर 5 रूपये खाद का कट्टा सस्ता कर दिया और दूसरी तरफ 600 करोड़ टैक्स किसान पर ठोक दिये तो इसमें कौन सी सराहना की बात है। (व्यवधान)

चौ. उदय सिंह दलाल: यह टैस सरमायेदारों पर लगाये थे। (व्यवधान)

चौ. बीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, आज जो सैन्ट्रल गवर्नमैंट ने बजट पेश किया है उसको मदेनजर रखते हुए आज हम बड़े गर्व के साथ कह सकते है कि हिन्दुस्तान की प्राइम मिनिस्टर महोदया ने देश के लिये टैक्स फ्री बजट दिया है। इसी प्रकार आज हमरे मुख्यमंत्री ने हरियाणा के लोगो के लिये भी टैक्स फ्री बजट दिया है। (व्यवधान)

चौ. हरिचन्द हुड्डा: * * * *

श्री अध्यक्ष: जो कुछ इन्होंने कहा है, यह रिकार्ड न किया जाए। (व्यवधान) हुड्डा साहब, जब आपको बोलने का मौका मिलेगा उस वक्त कह लेना, अब आप बैठ जाइए। (व्यवधान)

चौ. बीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहूंगा कि हमारे वित्तमंत्री ने अपनी बजट स्पीच में कहा है कि पिछले साल 156 करोड़ रूपया टैक्स की शक्ल में हरियाणा सरकार न वसूल किया था और इस साल पिछले साल के मुकाबले में 170 करोड़ वसूल किया है। यह बढ़ौतरी कोई खास बात नहीं है क्योंकि यह एक ट्रैंड है और सरकार की तरफ से अधिकारियों

को हिदायत दी जाती है कि इस साल अैक्स की वसूली में 10 परसैन्ट वृद्धि करनी है और अधिकारी वृद्धि कर देते हैं क्योंकि प्राइसिज बढ़ने के कारण वृद्धि हो सकती है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि सिंचाई और एग्रीकल्चर पर खर्च करने के लिये सरकार ने भिन्न भिन्न मदों में जो रूपया रखा है, उसमें कम से कम 30 परसैन्ट बढ़ौतरी होनी चाहिए। (घंटी) अध्यक्ष महोदय, आपने घंटी बजा दी, मेरा समय इन्ट्रप्शन्ज में ही यू ही निकल गया आप मुझे दो मिनट और दे दें। अध्यक्ष महोदय, यह बात दुरूस्त है कि भजन लाल सरकार अगर नये टैक्स लगाती है तो विरोधी पक्ष के भाई और जनसाधारण बुरा समझते हैं। इसीलिए बजट में डैफिसिट है ओर मैं तो यह कहूंगा कि जिस बजट के अन्दर डैफिसिट फाइनांसिंग नहीं होती, जिस सरकार के बजट में नये अैक्स नहीं लगाये जाते तो आप इससे अन्दाजा लगा सकते हैं कि सरकार की तरफ से प्रगति की रफ्तार बड़ी स्लो है। सरकार के अन्दर ऐसे अदायरे हैं, ऐसे स्कोप हैं जिन पर सरकार टैक्स लगा सकती है और करोड़ो रूपया टैक्स वसूल किया जा सकात है। यह ठीक है वित्तमंत्री महोदय ने खर्च में कमी करने के लिये कई चीजें आंकड़े देकर सदन को सुझाई है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपैन्सिज बचा कर खर्चा कम करना चाहते हैं। यह ठीक बात है लेकिन मैं वित्तंमंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि हरियाण के अन्दर कई ऐसे अदायरे हैं जिन पर टैक्स लगाया जा सकात है। आप किसी शहर में चले जायें पब्लिक स्कूल के नाम से कितने ही प्राईवेट स्कूल चल रहे हैं। एक साधारण स्कूल में भी कम से कम

50 रूपेय से कम फीस नहीं ली जाती। ऐसे ऐसे स्कूलों पर सरकार की तरफ से टैक्स लगना चाहिए, ये स्कूल लाखों रूपया इक्टठा कर रहे हैं। इसी तरह से बहुत से डाक्टर्ज ऐसे हैं जिन्होने आर.एम.पी. का बोर्ड लगा रखा है और कई डाक्टर्ज को एक एक हजार रूपया रोज की आमदनी है। ऐसे लोगों पर टैक्स लगना चाहिए। स्पीकर साहब, आज से 40 साल पहले देहात में बहुत से लोग मनी–लैन्डर का काम करते थे, कुछ अर्सा पहले से ये खत्म हो गये थे लेकिन आज फिर पैदा हो गये हैं। आज हर देहात के अन्दर पांच–दस ऐसे सरमायेदर या महाजन बैठे हैं जो मनी लैंडिग का काम करते हैं। हमारे आदरणीय हुड्डा साहब मनी–लैंडर हैं, इनकी ब्याज की दर 40 परसैन्ट है। (व्यवधान)

चौ. हरिचन्द हुड्डा: स्पीकर साहब, मैं इनके बारे में हाउस को बताना चाहता हूं कि चौ. छोटू राम 27 लाख की जायदाद छोड़ कर गये थे, मनी लैंडर तो यह हैं, मेरे पास तेा 30 हजार रूपया है और वह भी सरकार कार है। बेशक सी.आई.डी. इन्क्वायरी कर ले, इससे फालतू नहीं है। ये तो बच्चे हैं इनको बात करने की अकल नहीं है। 27 लाख की जायदाद चौ. छोटू राम छोड़ के गये हैं इसके बावजूद भी उनके बताये हुए नियमों पर नहीं चलते, उनके खिलाफ हो गये .....

श्री अध्यक्ष: आप बैठ जाइए। चौ. बीरेन्द्र सिंह जी, आप कृपया वाइंड आप करिए।

चौ. बीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, मैं बता रहा था कि तीन किस्म के अदायरे हैं जिस पर टैक्स लगना चाहिए और इनसे सरकार को करोड़ो रूपये की आमदनी हो सकती है। इसमें दो राये नहीं, चाहे हुड्डा साहब हों, चाहे दूसरे लोग हो, आप शहर में जाकर देखें, समाज के अन्दर जो शौशण हो रहा है वह कौन कर रहार है। मैं कहता हूं तीन किससम के अदायरे हैं जो शोशण कर रहे हैं। और ये अदायरे आज सरकार के ऊपर एक भार हैं और समाज के माथे पर एक अभिशाप हैं। सरकार इनको चैक करे, और इनकी चैंकिग बहुत जरूरी है। चैक करके इनकी आमदनी का हिसाब लगाया जाए और टैक्स लगाया जाए ताकि ये समाज का ज्यादा शोशण न करते चले जाएं।

श्री अध्यक्ष: कृपया वाइंड अप करे।

चौ. बीरेन्द्र सिंह: अभी एक मिनट में खत्म करता हूं। स्पीकर साहब, जहां तक इरीगेशन का ताल्लुक है, वित्तमंत्री ने अपनी बजट स्पीच में कहा है कि 1020 मैगावाट बिजली की क्षमता का नाथपा झाकरी प्रोजक्ट बनेगा। जहां तक सतलुज–ब्यास के पानी का ताल्लुक है, इसको मिलने में पता नहीं कितना समय लगेगा। न हम कोढ इस बारे में निश्चय कर पये हैं और न ही सरकार किसी निश्चय पर पहुंची है लेकिन मेरा कहना यह है कि मुख्यमंत्री साहब इस बारे में एक डैड लाइन फिक्स कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ मैं एक बात और कहना चाहूंगा। मैंने पहले भी सरकार के सामने एक सुझाव रखाथा कि घग्गर, टांगरी,

मारकंडा वगैरा जो सीजनल रिवर्ज हैं, इनमें बरसात के दिनो में लाखें क्यूसिक पानी बहता है और इस्तेमाल न होने की वजह से वेस्ट चला जाता है और फसलों को बरबाद करता है। अध्यक्ष महोदय, इस पानी को इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। आप पानी की सख्त जरूरत है और मेरा सुझाव है कि मसले पर गम्भीरता से विचार करें कि इस पानी को हम किस ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन सी स्कीम बन सकती है जिससे यह वेस्ट जाने वाला पानी इस्तेमाल हो सकता है क्योंकि आज हरियाणा में बहुत से खेत पानी के बिना प्यासे हैं, जैसे भिवानी का कुछ इलाका है या महेन्द्रगढ़ का इलाका है अगर इस पानी को इस्तेमाल किया जाये तो ये इलाके सरसब्ज हो सकते हैं। अध्यक्ष महोदय अन्तिम बात मैं यह कहना चाहूंगा कि सरकार ने खाल पक्के करने का प्रोग्राम बनाया हैं। सरकार आंकड़ो के अनुसार खाल पक्का करने से 1500 क्यूसिक पानी की बचत हो रही है। अध्यक्ष महोदय, अगर यह स्कीम वार फुटिंग पर पूरे दिल के साथ सरकार इम्पलीमैंट करे और बाकायदा टाईम मुकर्रर हो जाए कि दो साल के अन्दर–अन्दर यह काम हो जाएगा तो सतलुज यमुना लिंक से जितना पानी हमें मिलना था उतना पानी इस तरह से पानी की सेविंग से हमें मिल जाएगा। अध्यक्ष महोदय, अन्त में मेरा सरकार से फिर निवेदन है कि यह टांगरी, मारकंडा और घग्गर के प्रोजैक्टस पर बड़ी गम्भीरता से विचार करे ताकि पानी की समस्या आने वाले समय में हरियाणा में हल हो।

श्री रघुनाथ गोयल (कैथल): स्पीकर साहब, मैं डिमांउ न. 4, 17, 21 और 22 पर बोलूंगा। स्पीकर साहब, जमींदारों के बारे में यहां बहुत सी बातें कही गई हैं। किसानों का हरियाणा की तरक्की में ही नहीं देश की तरक्की में भी बड़ा योगदान है। वे बेचारा रात दिन, धूप और सर्दी में काम करता है। सर्दियों के दिनों में रात के बारह बजें वह खेतों में पानी लगाता है परन्तु इन सारी बातों का सरकार ने ख्याल नहीं रखा। केवल 13 रूपये गन्दम की कीमत इस सरकार ने बढ़ाई है। मैं तो चाहता हूं कि किसान की गन्दम का भाव 130 रूपये की बजाय 160 रूपये क्विंटल होना चाहिए था।

स्पीकर साहब, मैं आपके नोटिस में एक बात लाना चाहता हूं। अम्बाला रोड पर इसमायलाबाद एक गांव है। वहां 180000 जीटर मिट्टी का तेल आता है लेकिन उसका पता नहीं चलता कि वह कहां जाता है? या तो वह ब्लैक में बिकता है या वह सारा पंजाब में चला जाता है। (विघ्न)

स्पीकर साहब, 3 दिसम्बर, 1979 को चीफ मिनिस- टर साहब कैथल गए थे। वहां दस हजार लोगों के जलसे में इन्होंने एलान किया था कि कैथल को 1 अप्रैल 1980 जिला बनायेंगे। ट्रिब्यून में भी यह खबर आई थी परन्तु कैथल आज तक जिला नहीं बना। इस प्रकार की गलत बात चीफ मिनिस्अर साहब को नहीं करनी चाहिए। उसी दिन, स्पीकर साहब, इन्होंने यह भी कहा था कि कैथल के हस्पताल को 100 बैड का कर देंगे लेनिक वह

भी अभी तक नहीं हुआ। आज भी वह 50 बैड का हस्पताल है। (विघ्न)

स्पीकर साहब, थोड़ी सी बात मैं ला एण्ड आर्डर की भी करना चाहता हूं। आपको पता है कि कैथल में एक आर. के. एस. डी. कालेज हैं वहां के एक प्रधान हैं उस प्रधार के खिलाफ 20 मार्च को एक एफ.आई.आर.दर्ज हुआ था लेकिन आज तक उसकी अरैस्ट नहीं हुई। एफ.आई.आर. का न. 6 है और दफा 406 ओर 380 उसके खिलाफ लगी है लेकिन आज तक यह भी पता नहीं लगा कि उसकी जमानत भी हुई है या नहीं। (विघ्न)

स्पीकर साहब, मेरे हल्के में धर्मपुरा एक गांव है। वहां ओड जाति के लोग रहते हैं जो कि हरिजनों में आती है। उन्होंने वहां जमीन एक जमीदार से 20 साल के लिये पट्टे पर ली थी। बीस साल तक वे इसकी काश्त करते रहे लेकिन अब यह जमीन सरप्लस में आ गई है और जमींदार इनको इस जमीन को बेच कर चला गया है। इन लोगों ने यह जमीन सरकार से कर्जा लेकर खरीदी थी लेकिन अब उन्हें वहां से उइाया जा रहा है। ऐसा अन्याय गरीब लोगों के साथ नहीं होना चाहिए। (विघ्न)

स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा यह भी हाउस को बताना चाहता हूं कि चौ. भजन लाल जी, अपोजीशन के आदमियों को कोई काम नहीं करते। (विघ्न)

स्पीकर साहब, बजट स्पीच में कहा गया है कि दो सौ नई बसें खरीदी जाएंगी लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि वे बसें कौन–कौन से जिलों में दी जाएगी।

ओलावृश्टि के बारे में स्पीकर साहब जमींदारों को मुआवजा दिया जाता है। उससे उनका बनता तो कुछ नहीं है परन्तु फिर भी कुछ न कुछ मदद सरकार की तरफ से मिल ही जाती हैं इस सम्बन्ध में मेरी प्रार्थना सरकार से यह है कि सीरियों को भी कुछ न कुछ इमदाद सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए। इन शब्दों के साथ स्पीकर साहब मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

श्रीमती सुशमा स्वराज (अम्बाला कैंट): अध्यक्ष महोदय, बजट पर बहस समाप्त होने के पश्चात आज सदन में मांगों पर चर्चा चल रही। स्पीकर साहब समय इतना कम है कि सबस्टांशियल चीजों पर ही बोला जाये तो अच्छा है। अध्यक्ष महोदय कुल पांच मांगें सदन के सामने है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैम्बर साहेबान आज हाउस के सामने रैवेन्यू, इरीगेशन एग्रीकल्चर, कम्युनिटी डिवैल्पमेंट और कोआपरेशन की डिमान्डज है। इन पांच डिमांडज पर जो साहेबान बोलना चाहते हैं, पहले डिमांड का नम्बर दें, फिर उस पर बोलें। अपने भाशण को डिमांडों तक महदूद रखें। बजट पर बोलना तो

एक प्रकार से हाउस का टाईम जाया करने वाली बात है। इतनी मेरी हाउस से रिक्वैस्ट है।

श्रीमती सुशमा स्वराज: अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल यही बात मैं भी कहने जा रही थी। पांच मांगे सदन के सामने हैं। सबसे पहले मैं मांग नम्बर 17 पर बोलना चाहती हूं जिसका मुख्य शीर्शक कृशि है। इस मांग के तहत चार्जड आइटम के तहत कुल 21 करोड़ 93 लाख 40 हजार 300 रूपया मांगा गया है। इसमें से आठ करोउ़ 18 लाख 300 रूपया नान प्लान के तहत आयेगा। 13 करोड़ 75 लाख चालीस हजार योजनागत खर्चा है जिसका ब्यौरा प्लान स्कीम के तहत दिया गया है। अध्यक्ष महोदय इस पूरे रूपये में से दो लाख रूपया चार्जड आइटम है जिस पर असैम्ब्ली का वोट नहीं होगा लेकिन उस पर बहस हो सकती है। मैं आपकके जरिए सरकार ने जानना चाहूंगी कि यह दो लाख रूपया किस चीज पर खर्च होंगे। वोट देना या न देना तो एक तरफ रहता है। किसी भी पैसे का समर्थन देने से पहले हमें यह देखना है कि यह पैसा विकास कार्य पर लगेगा या लोक कल्याण कार्यो पर लगेगा क्योंकि हमारी स्टेट वैलफेयर स्टैट है इसलिये जो भी पैसा लगे, यह गरीब, असहाय और शोशित लोगों पर लगे या डिवैल्पमैंट ओरियंटिड स्कीमों पर लगे तभी उस पैसे का हमारी ओर से समर्थन मिलेगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि जिस पैसे से प्रदेश के विकास की गतिविधि में ज्यादा रफ्तार बढ़ेगी, उस पैसे का समर्थन हमारी ओर से मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, मैंने यह

देखनाप चाहा कि दो लाख रूपया चार्जड आइटम के लिये रखा गया है उस पर असैम्ब्ली का वोट नहीं होगा। मैं यह जानना चाहती हूं कि यह पैसा कहां पर खर्च किया जायेगा, क्या यह पैसा कसौटी पर सही उतरता है? अध्यक्ष महोदय मुझे पृश्ठ 209 पर ब्यौरा मिला कि यह पैसा बागवानी के तहत खर्च किया जायेगा। उसका शीर्शक है यादवेन्द्र गार्डन विकास। इसके ऊपर यह पैसा खर्च होगा। जब मैंने इसकी तफतील को देखा कि यह पैसा किस चीज पर खर्च होगा तब मुझे यह पता लगा है। इन्होंने लिख है कि ''अदर चार्जिज'' इसलिये अध्यक्ष महोदय कृशि मंत्री महोदय जवाब देते समय तफसील में बतायें कि यह पैसा कहां कहां पर खर्च किया जायेगा क्योंकि सदन के सदस्यों को यह जानने का अधिककार है कि एक भी पैसा जो हरियाणा का खर्च होता है वह विकास कार्यो पर खर्च होता है या नहीं। मैं यह चाहती हूं कि यह पैसा अन–प्रोडक्टिव स्कीम्ज पर खर्च नहीं होना चाहिए। इन्होंने पिंजौर गार्डन के बारे में तफसीलात दी हैं लेकिन लिखा है कि ''आदर चार्जिज''। इसलिये मैं जानना चाहती हूं कि ''अदर चार्जिज'' की तफसीलात क्या है? दो लाख रूपया किन किन चीजो ंपर खर्च यिका जाने वाला है। यह डिवैल्पमैंट ओरयंटिड स्कीम पर खर्च होगा या अन–प्रोडक्टिव स्कीम पर होगा क्यों कि यह धारणा बन चुकी है कि ज्यादादर पैसा अन–प्रोडक्टिव स्कीम्ज पर खर्च होता है। अगर ऐसी चीजों पर खर्च होता है तो हरियाणा प्रदेश के करदाताओं पर बड़ा बोझ पड़ता है। टैक्स पेयर्ज इस पब्लिक एक्सचैकर को बनाते हैं। अगर यह पैस इस तरह से खर्च होता है

तो ठीक नही होगा। अध्यक्ष महोदय, मैंने पृश्ठ 207 पर देखा ''कृशि विश्वविद्यालय सहायता अनुदान'– उसमें तीन करोड़ 76 लाख 50 हजार रूपया मांगा हैं। लेनिक कोई तफसील नहीं दी है सीधा ही सहातया अनुदान लिख दिया कि तीन करोड़ 76 लाख 50 हजार रूपया चाहिए। फिर मैंने देखा कि इसमें तफतीलात तो नहीं ही लेकिन बजट के साथ जो प्लान मेमोरन्डा दिया है उसमें लिखा है कि कहां पर नया खर्चा होना है और कितना खर्चा होगा। मैंने थोड़ी सी मेहनत की तो पता चला कि उसमें ''ग्रांट इन ऐड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार'' में लिखा है –

"During the year 1981-82 an expenditure on Agriculture side of about Rs. 21000000 is estimated to be incurred by the Haryana Agriculture University. After deducting the income, the net amoutn required to be spent by the University comes to Rs. 21000000."

लेकिन हमारे से मांगा जा रहा है तीन करोड़ 76 लाख 50 हजार रूपया। मुझे यह समझ नहीं आया कि इसकी आपने तफसील क्यों नही दी? इस एक करोड़ 67 लाख रूपये को कहां खर्च करेंगे। दो करोड़ दस लाख की तफसील तो दे दी कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में खर्च करेंगे लेकिन एक करोड़ 67 लाख की कोई तफसील नहीं दी। इसलिये मैं कृशि मंत्री महोदय से जानना चाहूंगी कि क्या मेरे से कोई डाकूमेंट रह गया है जिसको मैं नहीं देख पायी हूं? कृशि मंत्री महोदय दो करोड़ 10

लाख का और 1 करोड़ 67 लाख का अवश्य जवाब दे कि कहां कहा पर खर्च होगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा सा उन चीजों के बारे में भी जिक्र करना चाहूंगी जिनका पहले भाई बीरेनद्र सिंह जी ने और चौ. सुरेन्द्र सिंह जी ने जिक्र किया है। ये लोग कहते हैं कि जनता सरकार के टाई म पर उत्पादन घटा है, जनता सरकार के टाईम पर कृशकों पर बहुत आपत्ति आयी हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी जिम्मेदारी से सदन में कहना चाहती हूं कि संसद में चुने हुए नुमाइन्दों ने, जनता पार्टी के नुमाइन्दों ने यह पूछा था यानी लिख कर यह सवाल पूछा था कि हमें बताया जाये कि सन् 1977–78 में, 1978–79 में हिन्दुस्तान में अनाज की पैदावार कितनी हुई है और यह भी पूछा था कि यह पैदावार 32 साल की पैदावार से कितनी ज्यादा या कम है।

अध्यक्ष महोदय, केन्द्र के कृशि मंत्री हमारे हरियाणा के ही हैं उन्होंने ही संसद के अन्दर यह आंकड़े दिए हैं कि सन् 1977–78 के अन्दर पूरी देश में 12.3 करोड़ टन अनाज पैदा हुआ और 78–79 में 13 करोड़ टन अनाज पैदा हुआ और यह भी बताया कि यह अनाज की पैदावार पुराने 32 वर्शो की पैदावार की अपेक्षा एक रिकार्ड पैदावार है। ये आंकड़े राव बीरेन्द्र सिंह जी द्वारा ही सदन में दिए गए हैं। मैं यह कहना चाहती हूं कि केवल देश में ही नहीं (शोर) अध्यक्ष महोदय, मुझे पता था कि कि ये लोग कहेंगे कि देश की बात क्यों कर रही हो प्रदेश की बात क्यों

नहीं कर रही? मैं अपने वित्त मंत्री महोदय से कहूंगी कि इन्होंने 80–85 की पंचवर्शीय योजना का जिक्र अपने बजट भाशण में किया है। उसमें यह कहते है कि 1800 करोड़ की यह योजना तैयार की गई है। उस पंचवर्शीय योजना के एग्रीकल्चर का जो पेज है उसको उठा करके देख लीजिए उसको मैं आज ला नहीं सकीं उसके अन्दर एक लाईन एग्रीकल्चर की दे रखी हैं। सन् 1978–79 में हरियाणा में सबसे ज्यदा पैदावार हुई है, यह एक रिकार्ड पैदावार हुई है, यह एक रिकार्ड पैदावार है। 17.32 प्रतिशत इन्क्रीज पैदावार में, आज तक हरियाणा में नहीं हुई। सन् 1978–79 में 17.32 प्रतिशत पैदावार जनता पार्टी के राज में बढ़ी है। मैं आपको यह भी बताना चाहती हूं कि यह आंकड़े कोई ऐसे ही नहीं बढ़ गए। अध्यक्ष महोदय, केवल व्यक्तियों के बदल जाने से कभी पैदावार नहीं बढती बल्कि पैदावार बढ़ाने के लिए योजनाओं में एक ठोस दिशा देने की जरूरत होती है। यह पैदावार महज इसलिये बढ़ी कि जनता पार्टी ने पहले बार इस बात को सोचा था कि (शोर)

चौ. बीरेन्द्र सिंह: आन ए प्वायंट आफर आर्डर, सर। अध्यक्ष महोदय, अभी बहन सुशमा जी ने कुछ कहा है। मैंने तो केवल यही कहा ाि कि किसानों को फसल का ठीक भाव नहीं मिला। उस सरकार में किसान दुखी थे।

श्री अध्यक्ष: यह कोई प्वायंट आफर आर्डर नहीं है।

श्रीमती सुशमा स्वराज: अध्यक्ष महोदय, मैं वही आंकड़े पढ़ने जा रही थी कि आखिर पैदावार कैसे बढ़ी? मैं बताना चाहती हूं कि जब पैदावार बढ़ती है तो किसी योजना को स्पैसिफिक डायरैक्शन भी मिलती है, कोई विशेश दिशा मिती है तब कहीं जाकर पैदावार बढ़ती हैं। अध्यक्ष महोदय, पहली बार जनता पार्टी की सरकार के मंत्री मंडल ने यह सोचा था कि खेत में की जाने वाली पैदावार का सीधा सम्बन्ध खाद और पानी से होता है इसलिये जनता सरकार ने पहली बार खाद की कीमत में 100 रूपये प्रति टन की कमी की थी। इस बात को जनता सरकार के आंकड़े सिद्ध करते हैं 20 प्रतिशत सिंचाई केवल मात्र जनता सरकार के अढ़ाई वर्श के शासन काल में हुई थी। इतना अधिक एरिया इरीगेट पहले कभी नही हुआ था। जितनी आबपाशी पहले होती थी उससे कहीं ज्यादा आबपाशी हमारे शासन के अढ़ाई वर्श के दोरान हुई थी और यही कारण था कि उस वर्श रिकार्ड पैदावार हुई थी। अध्यक्ष महोदय, यह रिकार्ड पैदावार केवल देश में ही नहीं बल्कि हरियाणा के अन्दर 80–85 की पंचवर्शीय योजना के अन्दर दिए गए आंकड़े इस बात को साबित करते है कि 17.32 प्रतिशत बढ़ौतरी का रिकार्ड उत्पादन हुआ था। इतना अधिक उत्पादन हरियाणा के अन्दर केवल जनता पार्टी के राज में हुआ था।

अध्यक्ष महोदय, ये लोग कह सकते हैं कि इन्होंने इतना अनाज पैदा करके क्या किया और सारे अनाज को खुर्द खुर्द कर

दिया। हम लोगों ने संसद के अन्दर यह आंकड़े भी मांगे थे कि जिस समय कांग्रेस सरकार गइ थी और जनता सरकार आई थी तो उस समय देश में भण्डारों में कितना खादयान्न था? जब अढ़ाई वर्श के बाद जनता सरकार गई तो उस समय देश के खार्दयान्नों में कितना भण्डार था? अध्यक्ष महोदय, सदन में मुझे यह बताते हुए गर्व अनुीाव होता है कि जिस समय कांग्रेस की सरकार सन् 1977 में गई थी उस समय हमारे देश के भगडारों में केवल 11 मिलियन टन अनाज था और जब अढ़ाई वर्श के बाद जनता सरकार गई थी तो उस समय देश्रा के भण्डारों के खाद्यान 11 मिलियन टन से बढ़कर 23 मिलियन टन हो गया था यानी दुगने से भी एक मिलियन टन अधिक खाद्यान देश के भण्डारों में था। उसके बावजूद भी यह इलजाम लगायें कि जनता पार्टी के समय में ज्यादा अनाज नहीं हुआ तो यह कहां तक सही है? अध्यक्ष महोदय, मैं एक बड़ी बुनियादी बात यहां पर रखना चाहती हूं जिसमें सत्ताधारी या विपक्ष की कोई बात नहीं है। मैं यह कहना चाहती हूं कि जब भी हम कृशि का भाव निर्धारित करते हैं तो हमें एक बुनियादी प्रश्न को अपनी आखों से नजर अन्दाज नहीं करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि हमारे देश की अर्थव्यवस- ाि का आधार कृशि ही है और खासकर हमारे प्रदेश का आधार तो कृशि ही है। हम सबसे ज्यादा पैसा भी कृशि पर ही खर्च करना चाहते हैं और सबसे ज्यादा आय भी हमारी कृशि से ही होती है। अध्यक्ष महोदय, एक बुनियादी बात कहना चाहती हूं कि जब कृशि के या अनाज के भाव बढ़ते हैं तो उसके

साथ साथ तमाम चीजों के भाव बढ़ जाते हैं। आप देखें कि अभी पिछले दिनों सप्लीमैन्टरी एस्टीमेंटस की तृतीय इंस्टालमेंट के तहत करीब 139 करोड़ 60 लाख रूपये सरकार ने मांगे थे। इसमें से आधे से ज्यादा पैसा तो केवल डी.ए. की इंस्टालमैंट के लिये ही था। अध्यख महोदय, जब महंगाई बढ़ती है तो कर्मचारी यह कहता है कि उसे भी मंहगाई भत्ता दिया जाये, तब जो कर के सरकार को मंहगाई भत्ता देना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, महंगाई तो बढ़ती है लिफ्ट के जरिए और मंहगाई भत्ता बढ़ता है सीढ़ी के जरिए। आप बताये ंकि इन दोनों में से कहीं किसी का कोई मुकाबला हो सकता है। मूल्य सूचकांक बढ़ते चले जायेंगे और आप डी.ए. की इन्स्टालमैंट 20–30 रूपया बढ़ाते चले जायेंगे। इस चीज का कभी कोई मुकाबला नहीं हो सकता।

अध्यक्ष महोदय, आज समय यह नहीं है कि हम किसान को 150 रूपये का भाव दे कर के उपभोक्ताओं को 200 रूपये के भाव पर अनाज दें। आज समय यह है कि किसान को सब कुछ सस्ता मिलना चाहिए ताकि उसके उत्पादन की लागत घटे। मैं यह बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ सब लोगों को साथ ले करके कहना चाहती हूं कि हमारे प्रदेश के अन्दर हाई कास्ट (High Cost) इकोनोमी का ढर्रा चल पड़ा है। एक समय था जब 40 रूपये महीना पगार पाने वाला आदमी अपने आप को अमीर कहला सकता था। वह अच्छा खाने और पहनने के बाद कुछ बचा पाता था। लेकिन आज समय यह है कि 400 रूपये तनख्वाह पाने वाला

आदमी 2 जून की रोटी भी नहीं खा सकता ओर 1200 रूपये तनख्वाह पाने वाला आदमी एक नया पैसा भी नहीं बचा सकता। अध्यक्ष महोदय, किसान भी यह नहीं चाहता मि उसे 150 रूपये का भाव मिले। किसान तो सिर्फ यही चाहता हूै कि उसे उत्पादन लागत से ज्यादा भव मिले। (शोर) आप मेरी बात को सुनिसए। आप मेरी बात को मजाक में न लीजिए। आप किसानों को सस्ते दामों पर बीच मुहैया करवाईये, उन्हें सस्ता खाद दीजिए, उसका आबियाना कम करिए तथा उसके ट्रैक्टरों की कीमत को कम करिए ताकि उसकी उत्पादन लागत इतनी कम हो जाये कि उसे अधिक से अधिक उत्पादन का लाभ मिल सके ओर जो महंगाई बढ़ने का विशियस सरकल है वह भी समाप्त हो सके। अध्यक्ष महोदय हमारी कोशिश ''नो टैक्स इकोनोमी'' की तरफ होनी चाहिए क्योंकि यह हाई कास्ट इकोनोमी का विशियस सरकल हमें कहां ले जा करके छोड़ेगा, मैं इस बात की कल्पना करते हुए डरती हूं।

अध्यक्ष महोदय, भू–राजस्व की मांग न. 4 के तहत फारेस्ट रिजर्व का जिक्र किया गया है। हमारे प्रदेश के केवल मात्र अम्बाला जिला ऐसा है जहां पर अभी भी थोड़ा बहुत फारेस्ट रिजर्व है। नारायणगढ़, मोरनी हिल्ज और कालका के इलाके में यह रिजर्व है। अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहते हुए बड़ा दुख होता है कि हमारे यहां का सारा फारेस्ट रिजर्व खुर्द बुर्द किया जा रहा है। पेड़ काटे जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आपको मालूम है कि पूरे देश के अन्दर एक नाया ''चिपको'' आन्दोलन चला है। लोग पेड़ो

के साथ चिपक जाते हैं और कहते हैं कि इनको अगर काटना है तो इसके काटने से पहले हमें काटो। हमारी पूरी की पूरी इकोनोमी इस पर डिपैन्ड करती है। आजकल बाढ़ आने का सबसे बड़ा कारण, जंगलों का काटना ही है। इसलिये मैं चाहती हूं कि मुख्यमंत्री जी अम्बाला जिले को वर्जित क्षेत्र घोशित करें ताकि वहां से कोई भी आदमी पेड़ न काट सके। अध्यक्ष महोदय, बोलना तो मुझे और भी था लेकिन समय के अभाव के कारण मैं नहीं बोल सकती। इसलिये मैं इन शब्दों के साथ आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेती हूं।

श्री सुरेन्द्र सिंह ओजला (शाहबाद): अध्यक्ष महोदय, मैं डिमांड न. 15 चाहता हूं। अभी यहां पर कहा गया है कि जब से हरियाणा बना है तब से 27 प्रतिशत इरीगेशन बढ़ गई है। इस बात के लिये मैं अपनी सरकार का धन्यवाद करता हूं। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं यह भी दरख्वास्त करूंगा कि हमारे प्रदेश में तीन जिले करनाल, कुरूक्षेत्र और अम्बाला हैं। हमारी हर सरकार की यह कोशिश रही है कि सब इलाकों के लिये पानी का प्रबन्ध यिका जाये। मैं अपनी सरकार को कहना चाहूंगा कि पंजाब से पानी लेना चाहिए। ताकि कृशि की अधिक पैदावार हो सके। इन जिलों मे ंआगुमैन्टेशन टयूब्वैल्ज से आगुमैन्टेशन कैनाल निकाली गई है। स्पीकर साहब, मैं कहना चाहता हूं कि जहां आज से 10–15 साल पहले हमारे एरिया में वाटर लैवल 15 फुट था, वहां अब वही वाटर लैवल 40 या 50 फुट तक नीचे जा चुका है।

इसलिये मैं चाहता हूं कि हमारे इलाके से आगुमैन्टेशन कैनाल न निकाली जाये इसकी बजाये और कोई रास्ता निकाला जाये।

स्पीकर साहब, दूसरी बात मैं डिमांड न. 15 के ही बारे में कहना चाहता हूं। इसके बारे में मैंने पिछले सैशन में भी कहा था लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने कोई जवाब नहीं दिया था। अध्यक्ष महोदय, शाहबाद, मारकंडा नदी के पा है। मारकंड नदी के एक पुल का उदघाटन हमारे मुख्यमंत्री महोदय करीब 2–3 मास पहले करके आये थे। उस पुल की लम्बाई 1100 फुट है। उसी मारकंडा नदी पर आगे चल कर एक झांसा गांव है, उस पर भी पुल बना हुआ है। उस पुल की लम्बाई 200 फुट है। अध्यक्ष महोदय, आप देखें कि उसी नदी पर एक पुल की लम्बाई 1100 फुट है ओर दूसरे पुल की लम्बाई सिर्फ 200 फुट है। आप अन्दाजा लगा कर देखें कि क्या इसी नदी का पानी शाहबाद से 15 किलोमीटर आगे चले जाने के बाद 1100 फुट की अपेक्षा 200 फुट की लम्बाई में से गुजर सकता हैं। यह बात ठीक है कि जब 10–15 साल पहले यह पुल बना था उस समय गवर्नमैंट के पास उतने साधन नहीं थे जितने आजबल हैं। अब मैं अपनी सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस पुल की लम्बाई को बढ़ाया जाना चाहिए और उस पुल के पास जो 15–20 गांव लगते हैं उनको बाढ़ से बचाया जाये। मैं यह भी चाहता हूं कि वहां पर शहबाद मारकण्डा पुल जितना ही लम्बा पुल बनाया जाना चाहिए और उतना ही बड़ा वहां पर साइुन लगाया जाना चाहिए।

16.00 बजे

इसके अलावा एस.वाई.एल. ओर नरवाना नहर झांसा गांव के पास से गुजरती है इन दोनों नहरों के दोनों तरफ 15–15, 20–20 गांव पड़ते हैं। वहां के लोगौं को इधर उधर आने जाने के लिये रास्ता नहीं है। वहां पर पुल होने लाजमी हैं। इस लिये मेरी गुजारिश यह है कि वहां पर दो पुल अवश्य बनाये जाने चाहिए। अब मैं डिमांड न. 17 पर जो कि एग्रीकल्चर के बारे में हैं कुछ कहना चाहता हूं। यहां पर अपोजीशन के कुछ भाईयों ने भी इस बारे में काफी जिक्र किया है। मैं भी इस बारे में एक बात कहना चाहता हूं। हमारे यहां कुछ महीने पहले एक फर्टीलाईजर स्कैन्डल सामने आया था। मैं इस बात के लिये सरकार को दाद देता हूं कि इसने फौरन सख्त एक्शन लिया है। जितनले भी डीलर्ज है सबको पकड़ कर अन्दर कर यिदा गया है लेकिन दो पार्टीज ऐसी हैं जिनका अगर मैं नाम लूंगा तो यहां पर कोई न कोई भाई यह कह देगा कि उस आदमी को हाउस में ना ही नहीं लिया जाना चाहिए जो अपने आपको यहां पर डिफैन्ड नहीं कर सकता, जिनको अभी तक भी पकड़ा नहीं गया है वह पार्टी ए, बी, सी, और डी को अपना खाद बेचती चली गयी और वह खाद आखिर में किसान तक पहुंच गया। उन मेन पार्टीज को भी पकड़ा जाना चाहिए। अगर कानून इस बात की इजाजत देता है तो उनको भी सजा दी जानी चाहिएं एक तो सिंगला फर्टीलाईजर यमुनानगर की है और एक चण्डीगढ़ की फर्म है उसका नाम मुझे

इस समय याद नहीं है। मैं मंत्री महोदय के नोटिस में दो चार दिन में ला दूंगा। जितने भी डीलर्ज हैं सब यह कहते है कि हमें तो पकड़ लिया गया है लेकिन जो मेन आदमी हैं उनको पकड़ा नहीं गया है। उनको गवर्नमैंट कुछ नहीं कहती। इसलिये मेरी गुजारिश यह है कि इनको भी पकड़ा जाना चाहिए। इसके बाद में एक बात और कहना चाहूंगा। (इस समय सभापतियों की सूची में से एक सदस्य चौ. हरस्वरूप बूरा पदासीन हुए।) शाहबाद मारकंडा हरियाणा के अन्दर एक ऐसा एरिया है जहां पर आलू सबसे ज्यादा पैदा होता है कुरूक्षेत्र भी ऐसी जगह है जहां पर आलू खूब पैदा होता है, वहां पर भी और दूसरी सब जगहों पर आलू रखने के लिये कोल्ड स्टोरेज वाले 8–10 रूपये प्रति बोरी के हिसाब से चार्ज करते हैं लेकिन शाहबाद के अन्दर 15–20 कोल्ड स्टोरेजिज हैं। उन्होंने अपनी एसोशिएशन बना रखी है। वे हमारे से 14 रूपये 60 पैसे चार्ज करते हैं। हमारी यह मजबूरी है कि अगर हम आलू को शाहबाद से बाहर भेजें तो हमें रिस्क लेना पड़ता है कि कही वहा तक पहुंचते पहुंचते खराब न हो जायें। इसलिये मैं सरकार से दरख्वासत करूंगा कि इस समस्या का कोई न कोई इलाज अवश्य ढूंगा जाये ताकि वे लोग 10रूपये से ज्यादा चार्ज न कर सकें। इसके बाद मैं हरियाणा स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड के बारे में भी दो शब्द कहना चाहूंगा। इस सीजन में तो खुदा का शुक्र है कि बारिश हो गयी और हमें बिजली मिलती रही लेकिन अगली दफा अगर बारिश न हुई तो हमें बिजली की काफी दिक्कत आयेगी। अगले सीजन में अगर बारिश न हुई तो समस्या और

ज्यादा बढ़ जायेगी। हर जमींदार को सबसे पहले तो बिजली का कुनैक्शन लेना पड़ता है और फिर उसको बिजली की मोटर लगानी पड़ती है। इसके अलावा उकसो अपना डीजल इंजन भी लगाना पउ़ता है ताकि बिजली न मिलने की सूरत में वह अपना काम चला सके उधर डीजल का पम्प लगाने के लिये उसको खर्चा करना पड़ता है और उधर उसको कुनैक्शन मिला होता है लेकिन उसको बिजली नहीं मिलती। हर महीने सरकार यह दावा करती है कि हम इतने नये कुनैक्शन देते जा रहे हैं। मैं आई.पी.एस. साहब से यह दरखास्त करूंगा कि जब तक हमारे पास बिजली सरप्लस नहीं हो जाती तब तक नये बिजली के कुनैक्शन न दें ताकि किसानों को बिजली की मोटरें भी साथ की साथ न लगानी पड़े। अगर किसान को बिजली नहीं मिलेगी तो वह कोई न कोई प्रबन्ध तो करेगा ही। इसके अलावा भाई बीरेन्द्र सिंह जी ने जो यह सुझाव दिया है कि ट्रैक्टर पर एक प्रतिशत सेल्ज टैक्स होना चाहिए, मैं तो यह कहूंगा कि 1 प्रतिशत सेल्ज टैक्स भी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा क्राप इन्शोरेन्स की बात कही गयी। मुझे आशा है कि यह स्कीम जरूर सक्सैसफुल होगी। मैं इसके साथ ही यह भी कहना चाहता हूं कि इस इन्शोरैन्स स्कीम के अन्दर हरेक फसल को शामिल कर लिया जाना चाहिए। मैं मंत्री महोदय के ध्यान मं एक चीज ओर लाना चाहता हूं। जिस तरह से पिछले दिनों गेहूं की सीजन था और बरसात हो गयी। बीज जो डाला गया था वह बेकार चला गया। फिर दोबारा बीज डाला गया, फिर वह खराब हो गया। इसका रिजल्ट यह निकला है कि किसान

लोग अपनी फसल बीज नहीं सके है। अफसोस इस बात का है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमैंट के पास अब जब हम बीज लेने के लिये जाते हैं तो उनके पास मूंग का बीज नहीं है। मैं मुख्यमंत्री महोदय से यह रिक्वैस्ट करूंगा कि वे हरेक किस्म के बीज एच.एस.डी.सी. एन. एस.सी. और एग्रीकल्चर डिपार्टमैंट के जरिये मुहैया करवाये। अब मैं डिमांड न. 22 के बारे में कहना चाहूंगा। मैं अपने कोआप्रेशन मिनिस्टर ठाकुर बीर सिंह जी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता लेकिन एक बात मैं इनके नोटिस में जरूर लाना चाहूंगा। शाहबाद मारकंडा की मार्किटिंग सोसायटी के इलैक्शन पिछले दो सालों से डयू हैं। वहां पर इलैक्शन के लिये कोआप्रेशन डिपार्टमैंट डियूटी लगा देता है और यह कह देता है कि फलां दिन इलैक्शन होंगे। जिस दिन इलैक्शन होता है उस दिन सगता राम जी डी.आर. बीमार हो जाते हैं। आईन्दा के लिये मैं यह रिक्वैस्ट करूंगा कि इलैक्शन के दौरान वहां पर किसी एक डाक्टर की भी डियूटी लगायी जाये ताकि जो अफसर कन्सर्ड है वह कहीं बीमार न हो जाये।

श्री मनीराम (डबवाली – अनुसूचित जाति): चेयरमैन साहब, मैं अपने हल्के की कुछ प्रौब्लम्ज आपके सामने रखना चाहूंगा। मैं डिमांड न. 15, 17 ओर 22 के ऊपर बोलना चाहूंगा जिन पर पहले भी काफी चर्चा हो चुकी है। जहां तक पानी के बंटवारे का प्रश्न है, हमारा हैडक्वार्टर टोहाना है। पिछले साल बजट सैशन मैं भी मैंने एक मोशन दिया था। उसमें हमने यह

मांग की थी कि हमारा शेयर 500 क्यूसिक्स है, वह हमें कम मिल रहा है, वह हमें पूरा मिलना चाहिए। उस वक्त मुख्यमंत्री महोदय ने बजट सैशन के अन्दर हमें यह यकीन दिलाया था कि हमारे साथ जो उस वक्त भेदभाव हो रहा था वह दूर कर दिया जायेगा लेकिन वह भेदभाव आज तक भी दूर नहीं किया गया है। हमें अभी तक भी पूरा पानी नहीं मिल रहा है। अभी भी हमें 300 क्यूसिक्स पानी ही मिल पा रहा है। उस वक्त दी गयी अश्योरेन्स के बावजूद भी हमें हमारे पीन का पूरा–पूरा हिस्सा नहीं मिल रहा है। अब भी हमें 500 क्यूसिक्स पीन की बजाये 300 क्यूसिक्स मिल रहा है, इसलिये मेरा प्रार्थना यह है कि हमें पानी का पूरा हिस्सा टोहना हैडक्वार्टर से दिलवाया जाये। एक प्रौब्लम और है। एक मुन्नांवाली माईनर हमारे यहां नई बनती थी। वह अभी तक भी कम्पलीट नहीं हुई है हालांकि उसकी प्रोपोजल कांग्रेस पाटी के वक्त सन् 1972 में बनी थी, लेकिन अभी तक वह माईनर इन–कम्पलीट है। पिछले सैशन में भी यह यकीन दिलाया गया था कि वह माईनर जून 1980 में पूरी हो जायेगी और किसानों को सरकार पानी देना शुरू कर देगी। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस माईनर को जल्दी से जल्दी कम्पलीट करवाया जाये तथा देरी का कारण बताया जाये तथा उन अधिकारी गण के खिलाफ क्या कार्यवाही होगी जिन्होंने यह देरी की है। एक दिक्कत और है। एक ओवरसीयर वहां से ट्रान्सफर होकर आया था ओर उसने आसाखेडा व चौटाला, तेजाखेडा डिस्ट्रिब्यूटरी के मोघों को छोटै बड़े करने में काफी पैसा खाया है। मैंने इस बारे में एक्स.ई.एन.

साहब को भी बताया था। वह कहतने लगे कि हमें तो ऊपर से हिदायतें ऐसी आ रही हैं। मैं तो यह कह रहा हूं कि जो इतना पैसा लिया गया है उसकी जांच पड़ताल करवाई जाये। सरकार इस बारे में इन्क्वायरी करवाये। इसके बाद एक बात मैं और कहना चाहता हूं। सावनी की फसल में एक खास किस्म का कीड़ा लग जाता है जिसे हम अपनी भाशा में कातरा कहते हैं। इसकी मियाद 25–30 दिन तक होती है, उसके बाद वह कीड़ अपने आप ही मर जाता है लेकिन मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि क्या इस बारे में कोई रिसर्च की गयी है कि इस कीड़े को मारा कैसे जाये। यह कीड़ा सावनी की फसल को इतना नुक्यसान पहुंचाता है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। इसकी वजह से तो हर साल फसल पूरी तरह से तबाह हो जाती है। इसलिये मैं इस बारे में मंत्री महोदय से यह जानकारी चाहूंगा कि क्या इस बारे में कोई रिसर्च की गयी है या नहीं कि इसको मारा कैसे जाये क्योंकि अभी तक तो कोई ऐसी दवाई नहीं है जो इसको मार सके। इसलिये मैं सरकार का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता हूं कि इस कीड़े को मारने की कोई दवाई शीघ्र ढूंढी जाये ताकि गरीब किसानों की सावनी की फसल बच सके।

चेयरमैन साहब, हमारे यहां आसा खेड़ा में एक मंडी बननी थी। इसके लिये 1978 में प्रोपोजल बनी थी। अभी पिछले दिनों मुख्यमंत्री महोदय हमारे यहां गए थे तो इन्होंने वहां पर एलान किया था कि यह मंडी जरूर बनेगी और यह कैन्सिल नहीं

हुई है और यह मंडी नए साल में बनवानी शुरू करवा दी जाएगी। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि उस मंडी को जल्दी से जल्दी शुरू करवा दिया जाए ताकि हल्के के किसानों को असुविधा का सामना न करना पड़े। चेयरमैन साहब, हमारे यश्हां से जो मंडी है वह तीस–चालीस किलोमीटर है। इससे किसानों को अपनी जिन्स मंडी में ले जाने में बड़ी दिक्कत आती है। इसलिये मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि उस मंडी को जल्दी बनवा दिया जाए। चेयरमैन साहब, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। हमारे यहां चने का बीज सप्लाई किया गया था। उस वक्त चने का भाव मार्किट में ज्यादा था। उस बीज को बांटा नहीं गया और उस बीज को व्यापारी ले गये और वह ब्लैक में बेचा गया। मुख्यमंत्री महोदय ने यकीन दिलाया था कि मैं इसकी इन्क्ववायरी करवाऊंगा। चेयरमैन साहब, अभी तक पता नहीं चला कि इसकी इंक्वायरी हुई है या नहीं। मैं मुख्यमंत्री महोयद से प्रार्थना करूंगा कि वे इस बारे में जरूर रोशनी डालने की कृपा करें। बस मैं इतना ही कहकर खत्म करता हू।

डा बृज मोहन गुप्ता (जगाधरी): चेयरमैन साहब, आपका बहुत धन्यवाद। हरियाणा के इतिहार में बहुत बड़ी–बड़ी बातें हुई हैं। इस बारे में एक पुराना प्रोवर्ब है, वह कहना चाहता हूं। History repeats itself पिछले चार साल में चार वित्तमंत्री बदते हैं। अगले साल यह वित्त मंत्री रहेंगे या नहीं, यह कुछ पता नहीं हैं। चेयरमैन साहब, हरियाणा ने हर चीज में कमाल किया हैं

हरियाणा ने हर चीज में हिस्टरी बनाई है और यहां तक हिस्टरी बनाई है, मुझे तो सुनकर हैरानी हुई कि आई.ए.एस. की परीक्षा में हरियाणा के बारे में सवाल आ गया कि 'आया रा गया राम' क्या होता है। चेयरमैन साहब, यह आई.ए.एस. में सवाल आया है।

अब मैं एग्रीकल्चर के बारे में कहना चाहूंगा। कुछ लोग सोचते होंगे कि डा. साहब, ऐग्रीकल्चर के बारे में क्या जानते होंगे। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि हमारा हैरीडिटरी पेशा एग्रीकल्चर है। हम पुश्तों से ऐग्रीकलचर का काम करते आ रहे हैं। चेयरमैन साहब, एग्रीकल्चर के साथ इरीगेशन भी जुड़ी है, बिजली भी जुडी है। चेयरमैन साहब, आपको पता ही है कि अम्बाला में नहरों से सिंचाई नहीं हो सकती है। हमारे यहां टयूबवैल्ज से सिंचाई की जाती है। हमारे यहां बिजली की बहुत कमी है और आज सवेरे भी यह बात आई थी कि अम्बाला में बिजली की काफी कमी है। चेयरमैन साहब, जगाधरी में डोमैस्टिक बिजली पर भी कन्ट्रोल है। डोमैस्टिक बिजली पर भी कट लगा हुआ है। दूसरी ओर मिनिस्टर महोदय कहते हैं कि हमने कड़ी फराख दिली से बिजली दी है। चेयरमैन साहब, हालत यह है कि जिस वक्त इरीगेशन के लिये बिजली की जरूरत थी, उस वक्त किसानों को बिजली नहीं मिली और जो बिजली मिली वह रात को मिली। चेयरमैन साहब, आप तो खूब अच्छी तरह से जानते हैं कि किसान को अगर रात को बिजली दी जाए तो सर्दी के अन्दर रात को खेत में पानी देने में कितनी कठिनाई आती है। रात को पानी

देना कोई आसान काम नहीं है। रात को पानी का पता ही नहीं लगता। दूसरी बात यह है कि रात को भी बिजली कंटीन्यूस नहीं दी गई। वह भी इंट्रप्टिड रही और इस इंट्रप्शन के कारण लोगों की मोटरें जल गई। बिजली में इंट्रप्शन के कारण स्टार्टर को ट्रिपिंग करना पड़ता है लेकिन जब फेज तीन डिम हो तो स्टार्टर को ट्रिप करने में टाईम लग जाता है जिसके कारण मोटर खत्म हो जाती है, किसान की मोटर जल जाती है और उसका काफी नुक्सान हो जाता है। उसकी मुरम्मत के लिये किसान को पांच सात सौ रूपया खर्च करना पड़ता है। बिजली बोर्ड कुछ नहीं देता। किसान की मोटर बिजली बोर्ड द्वारा ठीक बिजली सप्लाई न करने से जली, उनकी गलती से जली लेकिन पैसा किसान को उसकी मुरम्मत पर अपनी जेब से खर्च करना पड़ता है। अगर वह ऐसा न करे तो उसको बिजली सप्लाई नहीं की जाती और उस बेचारे किसान का नुक्सान होता है।

अब मैं एग्रीकल्चर के बारे में कहना चाहता हूं। आज आप सब चीजों के भावों को देखिए तो पता लगेगा कि हर चीज के भाव बढ़ते चले जा रहे हैं लेकिन किसान की जो उपज है, उसको उसकी उपज का पूरा भाव नहीं मिलता। अगर किसी फसल को तीन चार पानी की जरूरत है और उस फसल को एक ही बार आप पानी दे पायें तीन चार पानी की जरूरत न पड़े तो भी आबियाना पूरा देना पड़ेगा लेकिन अगर पांच बार पानी की जरूरत हो और पानी न मिले तो उसके नुक्सान की कोई जिम्मेदारी नहीं

है। चेयरमैन साहब, आप खुद जानते हैं कि एक एकड़ जमीन में गेहूं उगाने का क्या खर्चा आता हैं मैं कहना चाहता हूं कि कम से कम सात सौ रूपया खर्चा आता है और अगर उसकी फसल खत्म हो जाए तो उसको चार सौ रूपया देते हैं। चेयरमैन साहब, चार सौ रूपये में तो उस किसान का खर्चा भी पूरा नहीं होता जिसाक दारोमदार खेती पर होता है। चेयरमैन साहब, सात सौ रूपया खर्च आए और चार सौ रूपया उसे दे दिया जाए तो यह तो उस किसन के आंसू पूंछने वाली बात है। इससे अगली बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे अम्बाला में सारी इरिगेशन बिजली के जरिये होती है। वहां पर एक बार अनांउस भी किया गया था और एक योजना भी बनी थी कि एग्रीक्लचर के लिये सैपरेट लाइन से बिजली सप्लाई की जाएगी और इंडस्ट्री वालों को सैपरेट लाईन से बिजली दी जाएगी। लेकिन वह स्कीम इम्पलीमैंट नहीं हुई। मुझे पता नहीं कि वह स्कीम कहां चली गई। यह बहुत जरूरी बात है। एग्रीक्लचर वालों को सैपरेट लाइन से बिजी दी जाए और वह दिन के समय दी जाए जिससे ठीक तरह से बिजली का इस्तेमाल किया जा सके। चेयरमैन साहब, चूंकि रात को आजकल बिजली दी जाती है इससे रात का पानी पर कन्ट्रोल नहीं किया जा सकता है। अगर दिन के समय बिजली दी जाएगी तो बिजली का खर्चा भी कम आएगा और बिजली भी कम सप्लाई की जाएगी। इस बात पर खासतौर पर ध्यान देना होगा। चेयरमैन साहब, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। ये कहते हैं कि हमने गन्ने का यह भाव दे दिया, गेहू का यह भाव दे दिया, दूसरी चीजों के इतने दाम बढ़ा

दिए। चेयरमैंन साहब, किसान के पास केवल अनाज पैसाद करने का काम है और कोई दूसरा काम नहीं है अहोर उसे अपनी जरूरत की दूसरी चीजें बाजार से खरीदनी पड़ती हैं। आप कपड़े के भाव ही देखो। चीनी का भाव देखो। आज चीनी दस रूपये किलो बिक रही है। (शोर एव व्यवधान) गुड भी तो पांच रूपये किलो बिक रहा है लेकिन जो चीजें किसान को खरीदनी पड़ती हैं, आप उनके भाव भी देखिए। इस तरह से चेयरमैन साहब, आज जो खाद की कीमत है, पानी की कीमत है, बिजली की कीमत है, डीजल की कीमत है, इनको देखते हुए गेहूं की कम से कम कीमत 160 रूपये प्रति क्विंटल कर देनी चाहिए ताकि किसानों को उनकी मेहनत का उनकी लागत का सही दाम मिल सके। चेयरमैन साहब, आज आपको पता है कि सरकार ने इस वक्त गन्ने की कीमत 26 रूपये पर क्विंटल कर दी जबकि गन्ना खत्म होने जा रहा है। इससे किसानों को क्या लाभ होगा? मार्च के महीने में केवल 13 परसेन्ट की रिकवरी होती है। अब जबकि गन्ना ही नहीं रहा तो गन्ने का भाव 26 रूपेय कर देने से किसानों को क्या मिलेगा? आज चीनी का भाव साढ़े आठ से लेकर 10 रूपवये तक का है। कल का पता नहीं कि कितना रेट हो जाए इस बढ़ती हुई कीमत को देखते हुए सरकार को गन्ने का रेट ज्यादा करना चाहिए था, कम से कम गन्ने का रेट 30 रूपये के करीब होना चाहिए, सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

चेयरमैन सहाब, अब मैं डिमांड नम्बर 22 के ऊपर अपने विचार रखना चाहता हूं जोकि कोआप्रेशन डिपार्टमैंट से सम्बन्धित है। इसके तहत कोआप्रेटिव सोसायटीज गरीब किसानों के भले के लिए व गरीब मजदूरों के भले के लिये बनाई गई थी लेकिन अब तो ये सोसायटीज कुरप्शन सोसायटीज बन गयीं हैं। आज भी मंत्री जी ने एक सवाल के जवाब में बताया कि 2 लाख 73 हजार रूपये के करीब एरियर्ज हैं, जोकि अभी लेने बाकी हैं और कितना घपला इन सोसाइटीज में हो रहा है, इस बारे में कई बार इस सदन में भी बात आती रही है। जिनको किसी बात का पता नहीं है जिसके घर में शाम को रोटी भी नहीं बनती, ऐसे आदमियों के नामों के ट्रैक्टर्ज के कर्जे लिये गये हैं, खाद के लिये लोन लिया गया है। आप ही बताओ ऐसे अनपढ़ आदमियों का ट्रैक्टर से क्या वास्ता है? यूं ही ऐसे लोगों के नाम से कर्जे लिये जाते हैं। किसी के अगेन्स्ट भैंस का लोन बना दिया किसी के अगेन्स्ट कोई और लोन ले लिया। उसके बदा होता क्या है कि जिस गरीब के नाम से लोन होता है, वह मारा मारा फिरता है और उसको इस लोन का तभी पता चलता है, जब उसके पास रिकवरी के लिये सरकार जाती है। फिर वे बेचारे लोग रैवेन्यू लाक–अप में बन्द कर दिये जाते हैं। इस तरह का अनर्थ इस कोआप्रेटिव सोसाईटीज के अन्दर हो रहा है और फिर यह गरीब आदमी किसी को एप्रोच भी नहीं कर सकता। जिन लोगों ने लाखों रूपया खाया हो और खिलवाया हो, वही आदमी एप्रोच कर लेते हैं और अपना बचाव कर लेते हैं। फिर जो बेकसूर आदमी होते हैं, उनको रैवेन्यू

लाक–अप में रखा जाता है। मैं सरकार को एक बात चेयरमैन साहब आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिन कोआप्रेटिव सोसायटीज को आपने गरीबों की भलाई के लिये, हरिजनों की भलाई के लिये बनाया है, ताकि उनको टाईम पर वहां से कर्जा मिल जाए, वहां पर आज भोले भाले लोगों को नाजायज फंसाया जा रहा है और इसके अलावा जो डिफाल्टर हैं, उसको लगातार कर्जे दिये जा रहे हैं। यह मैं नहीं कह सकता कि यह सारा कात किस की मिली भगत से हो रहा है। लाखों का गबन हमारे अम्बाला जिले में इन सोसायटीज के द्वारा हो रहा है, हुआ भी है लेकिन वहां पर कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। तो मैं आपके द्वारा इस सरकार से कहना चाहता हूं कि अगर सरकार इस हरियाणा की आबरू को कायम रखना चाहती है और यह चाहती है कि हरियाणा तबाह न हो, गरीबों का शोशण न किया जाए तो सरकार इन विभागों को ठीक तरीके से चलाये। इतना ही कहता हुआ मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। धन्यवाद।

श्री हरफूल सिंह (फतेहाबाद): चेयरमैन साहब, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। मैं केवल दो डिमांडज न. 15 और 17 पर ही, अपने विचार रखने के लिये खड़ा हुआ हूं। चेयरमैन साहब, जो एम.आई.टी.सी. है, वह बिल्कुल सफेद हाथी है। साढे 37 प्रतिशत कारपोरेशन का अपना खर्चा है ओर 3 परसैन्ट उस पर सूद पड़ता है जबकि वर्ल्ड बैन्क भी 1

परसैन्ट पर लोन देता हैं। इस प्रकार इस कारपोरेशन का साढ़े 40 परसेन्ट तो ऐसे ही खर्च हो जाता है। इसलिये मैं चाहूंगा कि इस कारपोरेशन को तोड़ दिया जाए। यह तो यू ही हरियाणा सरकार के ऊपर एक किस्म का बोझा है। इसके साथ–साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जो खालें बनाई जाती है, उनको बनाने के लिये किसानों के ऊपर ही सारी जिम्मेदारी डाल दी जाए। सरकार की तरफ से उनको सीमेंट वगैरह और ईटों की सप्लाई की जाए और इसके साथ साथ उनके ऊपर एक शर्त भी रख दी जाए कि अगर आप समय के अन्दर अन्दर इन खालों को नहीं बना सकोगे तो आप से दुगुना खर्चा लिया जाएगा। चेयरमैन साहब, अगर इस कारपोरेशन को न तोड़ा गया तो यह किसानौं को बुरी तरह से खा जाएगी और हरियाणा प्रान्त का हाल भी बहुत बुरा हो जाएगा। एक बात मैं और एम.आई.टी.सी. के बारे मे बताना चाहता हूं कि पी.डब्ल्यू.डी. का विभाग है, पब्लिक हैल्थ विभाग। वह एक समय में 10 लाख रूपये का काम करना है और उसी तरह के एक थोड़े काम को यह कारपोरेशन ज्यादा समय में 5 लाख रूपया तक का ही कर पाती है। सरकार के जो विभाग हैं, वे तो कम समय में ज्यादा काम करते हैं लेकिन कारपोरेन्शज उससे आधे काम को ज्यादा समय में करती हैं जिससे लेबर का ज्यादा खर्चा होता है, एम्पलाईज का ज्यादा खर्चा होात हैं इन बातों को मददे नजर रखते हुए मेरी सरकार से रिक्वैस्ट है कि इस कारपोरेशन को तोड़ दिया जाए और इसका सारा काम सरकारी विभागों को ही सौंप दिया जाए। ऐसा करने से लाखों रूपये की सरकार को बचत

हो सकती है। चेयरमैन साहब, मैंने सारा हिसाब किताब लगाया था जहां सरकार 100 रूपया खर्च करेगी वहां बाद में किसानों को 234 रूपये के करीब देने पड़ेंगे इस तरह से अगर सरकार किसानों को खालें बनाने का काम सौंप दे तो सरकार को कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि फायदा ही है।

चेयरमैन साहब, अब मैं डिमांड नम्बर 17 पर भी अपने विचार रखूंगा जोकि एग्रीकल्चर से सम्बन्धित है। खाल पक्के होने से सरकार कहती है कि 20 परसैन्ट पानी की बचत होती है, इसलिये इस तरह से सरकार को आबियाना ज्यादा आएगा। अतः सरकार को खाल पक्का करने का सारा खर्चा अपने ऊपर ले लेना चाहिए किसान के ऊपर नहीं डालना चाहिए। अगर खाल पक्के होंगे उससे सरकार को पानी की बचत होगी, पानी की बचत से पैदावार भी अच्छी मात्रा में होगी जिससे किसान का अनाज मार्किट में जाएगा और उसका फायदा भी सरकार को होगा या मार्किटिंग बोर्ड को होगा, इसलिये सरकार को यह सारा खर्चा खुद बरदाश्त करना चाहिए और गरीब किसानों पर यह खर्चा नहीं डालना चाहिए।

चेयरमैन साहब, इसके साथ–साथ मैं यह कहूंगा कि किसान को उसकी गेहूं का भाव पूरा नहीं मिल रहा है क्योंकि आज किसान को खाद के थैलें के ऊपर एक दम 60–70 रूपये ज्यादा देने पड़ रहे हैं लेकिन उसकी पैदावार का भाव नहीं बढ़ है। इस भाव से तो किसान का अपना खर्चा भी पूरा नहीं हो रहा

है। चेयरमैन साहब, आप तो गांव में रहते हैं। आज किसानों की हालत बड़ी खराब है। किसी के पास रहने के लिये मकान नहीं है। पेट भर कर कोई रोटी तक नहीं खा सकता। पहनने के लिये कपड़ नहीं है उनके बच्चे डंगरों के पीछे घूमते रहते हैं। उनके पांव में जूती तक भी नहीं है और दूसरी तरफ लोग करोड़पति बनना चाहते हैं। अगर यह सरकार सचमुच किसानों की हमदर्द बनती है तो मेरी उससे यह रिक्वैस्ट है कि किसानों की फसल का रेट बढ़ाया जाए ओर गेहूं की कीमत 130 रूपये क्विंटल से बढ़ाकर कम से कम 160 रूपये क्विंटल कर देनी चाहिए, तभी हरियाणा का किसान खुशहाल हो सकता है। मुझे पूर्ण आशा है कि सरकार मेरी इस रिक्वैस्ट को अवश्य मानेगी। इन लफजों के साथ मै। आपको धन्यवाद करता हुआ अपना स्थान लेता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

चौ. कर्म सिंह (टोहाना): चेयरमैन साहब, मैं डिमांड न. 22 पर बोलना चाहता हूं। मैं सिर्फ एक ही डिमांड पर बोलूंगा और टाईम भी थोड़ा लूंगा। चेयरमैन साहब, 1947 में मिनी बैक्स खोले गये थे। मिनी बैंक्स का फंक्शन यह था कि ये दो हजार की आबादी या पटवार सर्कल पर खोले जायेंगे और देहातों के अन्दर जरूरियात की चीजें जैसे चीनी, मिट्टी का तेल और कपड़ा वगैरह मुहैया करेंगे। चेयरमैन साहब, आज जो 'कनफैड' है यह सिर्फ अपने–अपने आदमियों को नौकरी पर लगाने के लिये खोली गयी है। जब दो हजार की आबादी पर मिनी बैंक खोल दिये गये हैं तो

कनफैड की क्या जरूरत थी? यह गवर्नमैंट के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझा हैं। पीछे एक स्कीम यह चली थी कि लैंड मारगेज बैंक और डिस्ट्रिक्ट सैंट्रल कोआप्रेटिव बैंक दोनों को मिलाया जाए और दोनों मिलकर इक्टठे काम करें। लेकिन इन्होंने एक नया ही कनफैड बना दिया। मैंने एक सवाल पूछा था कि 30.6.79 से 30.6. 80 तक सारे हरियाणा में मिनी बैक्स की कितनी ब्रांचे खोली गई हैं। उस सवाल का नम्बर तो नहीं आया था लेकिन उसका जवाब मैंने पढ़ा था। उसमें लिखा था कि हिसार में कोई नहीं खोली गई। उसी सवाल में मैंने प्रोफिट के बारे में भी पूछा था कि जिला वार कितना प्रोफिट है तो जिलावार बताने की बजाये इन्होंने सारा इकट्ठा ही बता दिया। तो उसेस पता नहीं लगाता कि कौन से बैंक में कितना प्रोफिट है। मुझे यह शक है कि हिसार कोआप्रेटिव बैंक में 30—6—79 को 27 लाख रूपये का प्रोफिट था और 30—6—80 को वह घटर कर साढ़े 13 लाख रूपये रह गया होगा। इस बैंक के अन्दर इतना नाजायज खर्च किया गया है कि एक लाख रूपया तो फर्नीचर पर खर्च किया गया। क्या वहां पर पहले फर्नीचर कम था? इसके अलावा बैंक का जो बोर्ड बनाया जाता हैं उसमें गवर्नमैंट का भी एक आदमी होता है। लेकिन आप किसी भी बैंक में जाकर देख लें, जितने भी मैम्बर हैं, वे सबके सब डिफाल्टर हैं और सभी ने अपने आदमियों को उनमें नौकरियों पर लगा रखा है। हमारे टोहाना में लैन्ड मारगेज बैंक और कोआप्रेटिव बैंक दोनों का इलैक्शन हुआ था लेकिन गवर्नमैंट ने उनको सस्पैन्ड कर दिया है। उसके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील

की गई। वहां पर पहले 5 तारीख लगी, फिर 13 तारीख लगी, फिर 23 तारीख लगी और उसके बाद 29 तारीख लगी लेकिन गवर्नमैंट की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। इस वक्त 30 करोड़ रूपए इन बैंकों का, अब भी बड़े–बड़े लोगों की तरफ बकाया पड़ा है लेकिन उनको कोई नहीं पूछता। अगर उनके खिलाफ अदालत में केस दर्ज होगा तो वहां पर काफी समय लग जाता है इसलिये जब हमारे रजिस्ट्रार बैठे हैं, एडिशनल रजिस्ट्रार बैठे हैं, वे उनकी इन्क्वायरी करें। मेरा कहना यह है कि बैंकों के अन्दर जो नाजायज बातें होती है, वे नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि हरियाणा कोआप्रेटिव बैंक की तरफ से अपना एक प्रैस लगा हुआ है। उसके बारे में मैंने एक सवाल पूछा था। उसमें ऐसा है कि 13 लाख 23 हजार रूपये के फार्म और रजिस्टर बगैरह इन्होंने प्राइवेट प्रैस से छपवाए। इसमें भी मुझे ऐसा लगता है कि शायद कोई कमिशन की बात होगी। अगर यही काम ये अपने प्रैस से करते तो इनको इतना फायदा और होना था। चेयरमैन साहब, कोआप्रेटिव बैंकस में या कनफैड में जो आदमी लगाए जाते हैं, ये कम से कम एम्पलाएमैंट एक्सचेंज के जरिये लगाये जाने चाहिएं ताकि यह पता चल सके कि वहां पर इतने आदमी लगाए गए हैं। चेयरमैंन साहब, आपको सुनकर ताज्जुब होगा, हिसार कंज्यूमर स्टोर में एक पोस्ट पर तीन–तीन आदमी लगे हुए हैं। मैनेजर एडिशनल मैनेजर और असिसटैन्ट मैनेजर एक ही पोस्ट के अगेन्स्ट लगे हुए हैं। इस तरह से इन बैंको का बुरी तरह से लूटा जा रहा है। इनके अन्दर राजनीति इतनी आ गई हैं। इस तरह से इन

बैंकों को बुरी तरह से लूगा जा रहा है। इनके अन्दर राजनीति इतनी आ गई है कि कोई काम बगैर किसी मिनिस्टर की सिफारिश के नहीं करवाया जा सकता। जितने भी गवर्नमैंट के काम हैं, सब कमिशन के बेसिज पर चल रहे हैं। हर गांव में हर आदमी ने अपना कमिशन बांधा हुआ है। मैं ज्यादा टाईम न लेते हुए आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे समय दिया।

चौ. ईश्वर सिह (गुहला–अनुसूचित जाति): चेयरमैन साहब, मैं डिमांड नम्बर 15, 17 और 22 पर अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। चेयरमैन साहब डिमांड नम्बर 22 में अनुदान मांगों के जरिए 9 करोड़ 6 लाख 3 हजार 600 रूपये की मांग की गई है। चेयरमैन साहब, सहकारिता विभाग एक संगठन है, एक परिवार जैसा है। किसी काम को मिल–जुल कर सुलभ तरीके से करना और संगठन के साथ किसी काम को चलाना ही सहकारिता है। छोटी से छोटी चीज से लेकर, क्या कपड़ा, क्या नमक, जो भी पारिवारिक डिमांडज हैं, वे सारी सहकारिता विभाग द्वारा लोगों को उपलब्ध कराई जाती हैं। चेयरमैन साहब, सहकारिता के अन्दर संगठन तो ठीक है लेकिन इसमें कई त्रुटियां ऐसी हैं जो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं। एक तो जो सहकारिता डिपार्टमैंट ने यह लिमिट लगा दी है कि शिडयूल्ड कास्टस या बैकवर्ड क्लासिज का आदमी 500 रूपये तक कर्जा ले सकता है, यह लिमिट नहीं होनी चाहिए ताकि उनको थोड़ा ज्यादा कर्जा मिल सके। आजकल वैसे 500 रूपये के अन्दर कुछ आता भी नहीं

हैं। क्या एग्रीकल्चर के हिसाब से, क्या दुकानदारी के हिसाब से, 500 रूपये बहुत थोड़े हैं। इसलिये यह लिमिट कम से कम 5000 रूपये होनी चाहिए ताकि कोई हरिजन या बैकवर्ड क्लास का आदमी सहकारिता विभाग से कर्जा लेकर अपना काम चला सके। चेयरमैन साहब, कई बातें ऐसी देखने में आती हैं कि एक मिनी बैंक का सैक्रेटरी जब किसान से कर्जा वसूल करता है तो पैसे किसी आदमी से लेता है और रसीद किसी और आदमी के नाम की काट कर देता है क्योंकि जो कर्जा देने वाला किसान है, वह अनपढ़ है। उसको इतना पता नहीं होता है कि रसीद किस आदमी के नाम की दी है। किसान कर्जा दे भी देता है लेकिन उसके बाद भी उसका कर्जा रजिस्टर में भरा रह जाता है। अनपढ़ किसान अपने पास हिसाब नहीं रख सकता और एम्पलाईज उसको गुमराह करके ब्याज डाल करके उससे दोबारा पैसा वसूल करते हैं। चेयरमैन साहब ऐसे ऐसे केस मेरे हल्के में तो क्या, सारे जिलों में ही बहुत ज्यादा हो रहे हैं। इसके अलावा जिस घर के अन्दर आदमी दो–दो या तीन–तीन नौकरी में हों और उन्हीं के पास जमीन हो तो उनके लिए कर्जे की लिमिट उनकी आमदनी के अनुसार कर दी जाए। जैसे खेती की जमीन पर हमबन्दी है उसी प्रकार से अर्बन प्रोपर्टी पर भी हदबन्दी कर दी जाए। उसकी सीमा के मुताबिक उसकी जो आय है, उसके अनुसार उसको कर्जा दिया जाए। चेयरमैंन साहब, जो आदमी करोड़पति या लखपति हैं, यह कर्जा भी करोड़ों में या लाखों में लेता है। लेकिन गरीब आदमी पर 500 रूपये कर्जा लेने की लिमिट है। इस 500 रूपये से तो

कफद भी बात नहीं बनती। इसलिये यह लिमिट नहीं होनी चाहिए। सहकारिता का मतलब तो छोटे वर्ग को ऊपर उठाना होना चाहिए। इसलिये मेरी गंजारिश है कि जो गरीब आदमी हैं, चाहे वह किसान है चाहे वह कोई दुकानदार है, उसको कर्जा मिलना चाहिए। जिस आदमी के पास अपने खुद के कारखाने है, अच्छा कारोबार है, उसको ज्यादा मात्रा में कर्जा नहीं मिलना चाहिए बल्कि गरीब आदमी को ज्यादा कर्जा मिलना चाहिए ताकि वह अपना काम धन्धा चला सके। चेयरमैन साहब, नए कारोबार के हिसाब से सहकारिता विभाग सोसाइटियां बनाता है और उनकी पूरी सहूलियतें देता हैं और सब साधन जुटाता है लेकिन जो भी आदमी कर्जा लेता है वह उस पैसे को ठीक ढंग से इस्तेमाल नहीं करता। उस पैसे का गलत उपयोग किया जाता है। या तो उस पैसे को ब्याह शाही में खर्च कर देता है या किसी गलत काम पर खर्च कर देता है। इस तरह से गलत इस्तेमाल किया जाता है। चेयरमैन साहब, मैं आपके माध्यम से सहकारिता मंत्री से निवेदन करूंगा कि यदि कोई आदमी नया कारोबार करना चाहता है चाहे वह शिडयूल्ड कास्टस से सम्बन्ध रखता हो चाहे वह बैकवर्ड क्लास से सम्बन्ध रखता हो, उसको आय के हिसाब के कर्जा दिया जाए और उस पर निगरानी रखने के लिये एक स्पैशल चैकर हो और वह चैकर यह देखे कि वह आदमी उस पैसे को ठीक इस्तेमाल कर रहा है या नहीं। वह चैकर उसको यह बताए कि आप यह यह काम करें और इस हिसाब से अपने पैसे को इस्तेमाल करें, जिससे उसको फायदा हो सके। चेयरमैन साहब, जो आदमी खेतीबाड़ी पर

निर्भर करते हैं, वह ब्याज देकर कर्जा लेते हैं और साल भर का अपना कारोबार चलाते हैं। सहकारिता विभाग से यदि कोई 5–10 आदमी मिल करके कोई काम शुरू करना चाहें, चाहे किसी भी जाति के हों, उन्हें कर्जा मिलना चाहिए। क्योंकि पहले यह पाबन्दी लगाई गई थी कि एक बैकवर्ड जाति का हो और एक हरिजन जाति का हो, तभी वे मिलकर कर्जा ले सकते हैं। इस तरह की पाबन्दी नहीं होनी चाहिए।

चेयरमैन साहब, अब मैं डिमांड नम्बर 15 के बारे में अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं जोकि सिंचाई के सम्बन्ध में है। सिंचाई के हिसाब से हमारा इलाका बहुत ही पिछड़ा हुआ है। हमारे इलाके में घग्घर नदी एक ऐसी दैत्य नदी है कि जब बारिश के सीजन में उसके अन्दर पानी बढ़ जाता है तब भी वह फसल को मार करती है और जब उसमें पानी नहीं रहता तब भी मार करती है क्योकि हमारे इलाके के किसान अपनी फसल को उस नदी से पानी लगाते हैं। इसलिये चेयरमैन साहब मैं आपके माध्यम से एग्रीकल्चर मिनिस्टर से निवेदन करूंगा, वे जरा मेरी बात पर ध्यान करें। जो किसान घग्घर नदी से अपने खेतों में पानी लगाते हैं इस साल से सरकार ने उसके ऊपर भी आबियाना लगाना शुरू कर दिया है जोकि नहीं लगना चाहिए क्योंकि किसान पम्पों से पानी निकाल कर अपने खेतों में लगाते हैं, इसलिये उन पर यह आबियाना नहीं लगना चाहिए। चेयरमैन सहाब, हमारा इलाका पंजाब के बार्डर से लगता एरिया है। जब पंजाब की तरफ से

सीजन के अन्दर पानी माइनर में छोड़ा जाता है तो पीछे से पानी नोट किया जाता है। इसके अलावा बिना सीजन के जब पानी की जरूरत नहीं होती तो भी उसमें पानी छोड़ दियाजाता है। चेयरमैन साहब, जब पानी की जरूरत पड़ती है तब उस माइनर में पानी नहीं छोड़ा जाता है और जब पानी की जरूरत नहीं होती तब पानी छोड़ दिया जाता है। इस तरह से दोनों तरह से हमारे किसानों का नुक्सान होता है। इसलिये चेयरमैन साहब, मेरी सरकार से दरख्वास्त है कि हरियाणा सरकार पंजाब सरकार से यह बात तय करे कि हमारे इलाके में जब पानी की आवश्यकता होती है उस समय पानी को न रोका जाए और बिना सीजन के पानी न छोडा जाए। चेयरमैन साहब, हमारे इलाके में जो माइनर है वह बहुत ही नीची है ओर खेत ऊपर हैं इसलिये उससे पानी नहीं लगता। यदि उस माईनर को ऊंचा करके पक्का किया जाए तो उससे किसानों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। चेयरमैन साहब, इसके अलावा कृशि से सम्बन्धित जो बीमा पालिसी की बात आई है, इस बारे में मेरा सुझाव है कि सिर्फ फसल का ही बीमा नहीं होना चाहिए बल्कि फसल पर जो लोग आधारित हैं उनका भी बीमा होना चाहिए। जो नौकर हैं यदि गर्मी लग करके उसकी मौत हो जाती है तो उसका भी बीमा पालिसी के अन्दर पूरा–पूरा मुआवजा मिलना चाहिए और यदि टयूबवैल्ज चलाते समय बिजली का शाट लग जाने से या टोका चलाने से उसका कोई अंग कट जाता है तो उसको भी बीमा पालिसी का फायदा मिलना चाहिए। चेयरमैन साहब, बीमा पालिसी की दूसरी बात यह आई कि जीरी

और बाजरे की फसल को पहले लिया जाएगा। इस बारे में मैं सरकार ने निवेदन करूंगा कि यह सरकार हिन्दुस्तान में पहली बार यह रिकार्ड कायम रकने जा रही है इसलिये इसमें गेहूं की फसल को भी शामिल कर लिया जाए। क्योंकि कुरूक्षेत्र और करनाल के इलाको में सबसे ज्यादा गेहूं पैदा होती है इसलिये सरकार से मेरी प्रार्थना है कि इस बीमा पालिसी के तहत गेहूं की फसल को भी ले लिया जाए। चेयरमैन साहब, इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

श्रीमती डा. कमला वर्मा (यमुनानगर): सभापति महोदय, मैं आपका धन्यवाद करती हूं जो आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया। मैं तीन डिमांडज पर अपने विचार रखना चाहती हूं ओर वे हैं डिमांड न. 15, 17 और 22। हम सब जानते है कि हरियाणा एक कृशि प्रधान प्रदेश है और कृशि के साथ समाज के हर वर्ग का इन्ट्रैस्ट जुड़ा हुआ है। मैं मानती हूं कि कृशि के लिये 53.83 करोड़ रूपया रखा गया है लेकिन देखना यह है कि छोटे छोटे किसानों ाके इससे कितना लाभ पहुंचता है, इस बात का पता बजट को पढ़ने से लग सकता है। सरकार कोई विकास का काम करने से पहले पिछली सरकार को ही दोश देती है, अपनी अकुशलता को नहीं देखती यह बात थोड़ी देर के लिये तो चल सकती है लेकिन हर वर्श का बजट पेश करने के समय सारी जिम्मेदारी मौजूदा सरकार पर ही आती है। आज किसान को उसकी फसल की पूरी कीमत नहीं मिल रही। आज किसान को

उसके खाल पक्के करने की कीमत देनी पड़ रही है। आज अगर किसान की फसल को एक पानी दिया जाता है तो भी आबियाने के पूरे चार्जिज वसूल किये जा रहे हैं, बिजली के चार्जिज भी बिजली ने मिलने पर भी पूरे लिये जा रहे हैं। क्या यह सारा दोश जनता सरकार के ऊपर लगाया जायेगा? नहीं यह तो मौजूदा सरकार की नीतियां हैं जिसकी सजा किसानों को भुगतनी पड़ रही है। अअगर किसान को इसी तरह से दबाया जाता रहा, तो किसान इनको मुआफ करने वाला नहीं है। मैं सरकार से जानना चाहती हूं कि कौन से जिले में हरियाणा सरकार ने कृशि के लिये ज्यादा बिजली दी है? कृशि मंत्री मेरे इस सवाल का जवाब दें। श्रीमती सुशमा स्वराज ने ठीक ही कता था कि जनता सरकार के वक्त में काफी अधिक फसल हुई थी और उसका कारण यह था कि किसानों को रोजाना 12 घंटे से 18 घंटे तक बिजली दी गई थी। इसके इलावा किसान की फसल का भाव 105 रूपये दिया गया और इसकी दूसरी तरफ खाद सस्ती, बिजली सस्ती, बीज सस्ता दिया गया ताकि किसान खेती आसानी से कर सके। लेकिन आज किसान के साथ धोखा हो रहा है। आज किसान के गन्ने की कीमत सरकार के 26 रूपये प्रति क्विंटल फिक्स की है लेकिन इसके दूसरी तरफ जब किसान बाजार में चीनी खरीदने के लिये जाता है तो 8 या 9 रूपये किलो मिलती है। जब उसको चीनी 9 रूपये किलो ही मिलती है तो गन्ने का भाव 26 रूपये फिकस करने का क्या मतलब है, यह तो उसके साथ सरासर धोखा हैं। प्राईस कमीशन के अधिकारी, एयर कंडीशनड कमरों में बैठकर

किसान की फसल की ठीक कीमत तय नहीं कर सकते, इसके लिये एक्सपर्टस बैठने चाहिए जो किसान की दिक्कतों को समझ सकें। प्राईस कमीशन अगर गन्ने का भाव 30 रूपये फिक्स करता है तो बाजार में चीनी की प्राईस 5 रूपये किलो से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर 9 रूपये किलो का भाव रखनाहै तो इसमें देखने वाली बात यह है कि भाव में इतनी बढ़ौतरी होने के कारण क्या है? किसन के पास इस बढोतरी का कितने परसैन्ट हिस्सा जाता है? मैं सरकार से जानना चाहतती हूं कि बढ़ी हुई चीनी की कीमत का हिस्सा सरमायेदार के पास, कल–कारखाने में काम करने वाले मजदूर के पास, एडमिनिस्ट्रेशन के पास, गरीब किसान के पास कितना कितना जाता है, इस चीज का पूरा ब्यौरा जनता के सामने आना चाहिए? मुझे मालूम है कि इस सिलसिले में किसान मजदूर ओर कंज्यूमर्ज का आपस में कही भी तालमेल नहीं बैठता। सभापति महोदय, हम कहते हैं कि किसान को गेहूं का भाव 130 रूपये क्विंटल मिल रहा है, हम मांग करते हैं और कहते है कि 130 की बजाये 150 रूपये पर–क्विंटल गेहूं का भाव मिलना चाहिए। एक तरफ तो किसान 130 रूपये पर–क्विंटल के भाव से अपनी फसल बेचता है लेकिन दूसरी तरफ इससे ज्यादा उसे खर्च करना पड़ता है, ट्रैक्टर की मेन्टेनैन्स पर काफी खर्च करना पड़ता है। फर्टिलाईजर वगैरा सब चीजें मंहगी लेनी पड़ती हैं। जब उसे बिजली नहीं मिलती तो डीजल ब्लैक में लेना पड़ता है। रात को अगर ट्रिपिंग से टयूबवैल की मोटर जल जाती है तो उसे मशीन को ठीक करवाने में कई कई दिन लग जाते हैं जिसके कारण

बिजली का उपयोग नहीं कर पाया कम्पलेंट करने के बाद भी बिजली कर्मचारी कई कई दिन तक मोटर ठीक करने के लिये नहीं आते। इस हालात में 150 रूपये क्विंटल का भाव तो किसान मांगेगा ही क्योंकि उसको 130 रूपये प्रति क्विंटल के मुकाबले में ज्यादा खर्च करना पड़ता है। आज क्या हालत है? आप देखें किसान को बिजली कम मिलती है ओर जो मिलती है वह भी समय पर नहीं मिलती, अगर कोई किसान टयूबवैल के लिये बिजली का कुनैक्शन लेने के लिये डिपार्टमैंट के अधिकारियों के पास जाता है तो उसको छः छः महीने एक एक साल तक चक्कर काटते पड़ते हैं और फिर भी कुनैक्शन नहीं मिलता। अगर किसान किसी आफिसर को दो सौ या पांच सौ रूपया कमीशन दे देता है तो उसको कुनैक्शन मिल जायेगा, वरना नहीं मिलेगा। सभापति महोदय, हरियाणा प्रानत में छोटा किसान और खेतीहर मजदूर केवल मात्र खेतीबाड़ी पर आधारित है। किसान के साथ मजदूर और उपभोक्ता जुड़े हुए हैं। अगर किसान को असुविधान होगी तो मजदूर और उपभोक्ता को भी दिक्कत पेश आयेगी। इसलिये मैं कृशि मंत्री जी से गुजारिश करूंगी कि बार बार यह कहना कि जनता सरकार की वजह से प्रान्त में कमियां आई हैं, किसानों को दिक्कत है, यह केवल मात्र जनता के साथ धोखा है। कृशि की उन्नति के लिए जो कृशक की उचित मांगे हैं, उनको पूरा किया जाए और छोटे किसान का राहत मिलनी चाहिए।

सभापति महोदय, अब आप सिंचाई की बात ले लीजिए, इसके लिये 54 करोड़ रूपया रखा गया है और कुछ स्कीमें जारी की गई हैं जिनके लिये अगल से रूपया रखा गया है। इसके इलावा विश्व बैंक खालें पक्का करने के लिये कर्जा देता है लेकिन खाल पक्का करने के लिये किसानों से पूरा पैसा लिया जाता है। छोटे छोटे किसान जिनकी दो–दो, तीन–तीन एकड़ भूमि है, इनको पैसे देने में बड़ी परेशान का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपको रादौर क्षेत्र की बात बताना चाहती हूं। वहां पर एक बहुत बड़ी ड्रेन खोदी जा रही है, जो 55 फुट चौड़ी होगी। टयूबवैल पहले खोदे हुए हैं, इस 5 मील के एरिया में तीन नदियां है। दो नहरे पहले ही बनी हुई हैं। एक ड्रेन खोदने का सर्वे हुआ है जिसका काम लगभग कम्पलीट हो चुका हैं इन टयूबवैल्ज के जरिए इलाके का सारा पानी ड्रेन के माध्यम से नहर में डाला जायेगा ओर इलाके के आसपास के सारे गांवों का पानी की तह नीचे जा रही, है कुओं व नल्कों में भी कई कई फुट पानी नीचे हो रहा है। जब हम लोग चीफ इंजीनियर से कहते हैं कि इस विशय को पुनः सोचो, गांव के लोगों को तकलीफ हो तो वह कहते हैं कि वहां पर काफी चोये हैं। यानी पानी भूमितल पर अधिक है। मैं पूछना चाहती हूं कि कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से यह काम बन्द नहीं हो सकता? तीन नहरें खुदने के कारण गांवों का सारा पानी नीचे चला गया और दलील यह देते हैं कि पानी को नहरों के द्वारा आगे तक ले जाना है। मैं पूछती हूं कि नये घर को आबाद करने के लिये बसे बसाये घर को उजाड़ दिया जाए, यह

कहां तक उचित है। इस तरह से अम्बाला और कुरूक्षेत्र में टयूबवैल खोद खोद कर नहरों में सारा पानी डालकर उसे आगे ले जाकर सारे क्षेत्र को शुश्क कर दिया है। मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहती हूं कि चीफ इंजीनियर के माध्यम से इसका दोबारा सर्वे करवाना चाहिए ताकि टयूबवैलों के जरिये पानी निकाल कर और उसे नहरों में डालने से उस इलाके के लोगों को पीने के पानी और कृशि सिंचाई से वंचित न रखा जाए। आज छोटे छोटे किसान बरबाद हो रहे हैं। जिन के पास दो–दो एकड़ जमीन है, वे गरीब होते जा रहे हैं, इनके बारे में सरकार को विचार करना चाहिए।

सभापति महोदय, अब बिजली की बात ही ले लीजिए। बड़े बड़े दावे बिजली के बारे में किये गये हैं जब प्रदेश में बिजली ही नहीं होगी तो किसान को बिजली कहां से देंगे? बिजली के लिए नाथपा झाकड़ी प्रोजैक्ट को शीघ्रतिशीघ्र क्रियान्वित रूप देना चाहिए। थर्मल प्लांटस चालू करने चाहिए। इसके बारे में मैंने पहले भी कहा था और इरीगेशन एंड पाव मिनिस्टर ने इस बात को माना है कि थर्मल प्लांट में कोयले की तीन वैगन्ज की जरूरत होने के बावजूद भी बड़ी मुश्किल से एक वैगन मिल रही है। जहां प्रान्त की ऐसी कंडीशन हो, वहां थर्मल प्लांटस कैसे चल सकते हैं और प्रानत की स्थिति कभी ठीक हो ही नहीं सकती।

सभापति महोदय, उद्योग के लिए ओर कृशि के लिये बिजली एक रामैटीरियल का काम करती है। अगर वैगन्ज न आने

की वजह से थर्मल प्लांट नहीं चलेंगे तो बिजली पैदा नहीं होगी। फिर इंडस्ट्री और कृशि दोनों सफर करेंगी। कृशि इसलिये सफर करेगी क्योंकि कृशि में उत्पन्न होने वाली चीजें, बिजली के साथ जुड़ी हुई है। उद्योग और बिजली का मजदूर के साथ सीधा सम्बन्ध है। सभापति महोदय, पिछले दिनों इंजीनियर्ज की हड़ताल रही। 10000 इंजीनियर और लगभग 35 हजार कर्मचारियों ने 'वर्क टू रूल' की हड़ताल की, जिसकी वजह से बिजली न मिलने के कारण बहुत नुक्सान हुआ। अब हड़ताल खत्म हो गई, अब तो बिजली मिलनी चाहिए लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज भी तीन–चार घंटे से ज्यादा बिजली नहीं मिल रही जिसके कारण कृशि और उद्योग धंधे दोनों सफर कर रहे हैं। बिजली मंत्री बेशक घोशणा करते रहें कि बिजली की स्थिति ठीक हैं मगर जो आज स्थिति है वह तो केवल सैशन के दिनों तक ही रहेगी। आगे आने वाले वक्त में क्या स्थिति है वह तो केवल सैशन के दिनों तक ही रहेगी। आगे आने वाले वक्त में क्या स्थिति रहती है, यह तो वक्त ही बतायेगा। जहां तक मेरा अनुमान है, बिजली के मामले में प्रान्त में क्राइसिज पैदा होंगे। जहां तक कर्मचारियों की हड़ताल का ताल्लुक है, डिपार्टमैंट के अधिकारियों की एक्सप्लेनेशन काल करके एक्शन ले रहे हैं और मुझे शंका है कि आने वाले वक्त में दोबारा स्ट्राइक न हो जाए और सारी स्टेट को बिजली क्राइसिज का सामना न करना पड़ जाए? इस चीज को ध्यान में रखते हुए सरकार को उचित कदम उठाने चाहिएं क्योंकि बिजली का सीधा सम्बन्ध किसान, मजदूर, उद्योगपति और साधारण नागरिक से है।

सभापति महोदय, अब कोआप्रेशन डिपार्टमेंट की बात सुन लीजिए। कोआप्रेटिव स्टोर खोलने के समय एक मान्यता समझ आती है कि यह बहुत अच्छी स्कीम है। इस योजना के माध्यम से कंज्यूमर्ज को सही कीमत पर चीजें मिलेंगी। आज हरियाणा में टोटल 32 सुपर बाजार या बड़े सरकार भण्डार हैं। मैं पूछना चाहती हूं कि इन 32 स्टोर्ज में से कितने स्टोर्ज ऐसे हैं जो फायदे में चल रहे हैं? जहां तक मुझे पता है, सारे के सारे कन्ज्यूमर्ज स्टोर्ज घाटे में चल रहे हैं। इनकी मेन्टेनेंस पर लाखों रूपया खर्च किया जा रहा है, जिसका यह परिणाम है कि सारे के सारे स्टोर्ज घाटे में जा रहे हैं। नूहं कंज्यूमर्ज स्टोर में 80 हजार रूपये का घाटा है, यमुनानगर कंज्यूमर्ज स्टोर घाटे में चल रहा है। मुझे सरकार एक भी कोआप्रेटिव स्टोर बता दे जो फायदे में चल रहा हो। चेयरमैन साहब, सैन्ट्रल गवर्नमैंट ने रूरल एरियाज में सस्ती दर की दुकानें खोलने के लिये एक करोड़ रूपया दिया था। उस 1 करोड़ रूपये को भी कनफेड के पास कंवर्ट कर दिया और उस कनफेड में भाई भतीजावाद के आधार पर लोगों को नौकरियां दी जा रही हैं सभापति महोदय, सरकार इस बात की इंक्वायरी कराए। अगर वे फायदे में चल रहे हैं तो हम कहेंगे कि यह अच्छा काम है लेकिन मेरी इन्फर्मेशन के अनुसार ये बिल्कुल फायदे में नहीं चल रहे हैं। सब अच्छी अच्छी वस्तुएं बाजार में बिक जाती हैं स्टोर तो लगभग खाली से दिखते हैं।

सभापति महोदयख मैं एक और बात यहां कहना चाहती हूं। ट्रैक्टरों के टैक्स की बात जब यहां चली तो मुझे यमुनानगर के टिम्बर व्यवसाय की बात याद आ गई। सरकार की टैक्स की पालिसी हमें समझ में नहीं आती। टिम्बर के लिये एक तरफ तो यह अपने प्रान्त में चार प्रतिशत टैक्स लेती है लेकिन साथ लगते हुए पड़ौसी प्रान्त में यह एक प्रतिशत है और दूसरे पड़ौसी प्रान्त में कोई टैक्स नहीं है। ऐसे हालात में वह व्यवसाय कैसे डिवैल्प होगा। इसके परिणामस्वरूप इस वक्त टिम्बर का व्यवसाय यमुनानगर से शिफ्ट हो कर जम्मू और कश्मीर में चला गया है, हिमाचल में बिलास पुर और पौंटा साहब के अन्दर चला गया है। इस वक्त वहां यमुनानगर में सारी की सारी मार्किट सुनसान पड़ी हुई है। इसलिये सरकार को टैक्स की पालिसी को रिव्यू करके हरियाणा के हित में जरूर फैसला करना चाहिए।

सभापति महोदय, एक बात मैं और कहूंगी क्योंकि बाद में मुझे मौका नहीं मिलेगा। शहर की डिवैल्पमैंट के लिए म्यूनिसिपैलिटी बहुत बड़ा काम करती है। यमुनानगर की म्युनिसिपल कमेटी क्लास वन म्यूनिसिपैलिटी हैं। उसका सवा करोड़ का बजट है लेकिन मुझे दु:ख के साथ कहना पड़ता है कि हर चार महीने और छः महीने के बाद वहां के एडमिनिस्ट्रेटर को बदल दिया जाता रहा है जिसकी वजह से वहां की म्युनिसिपल कमेटी विकास का काम नहीं कर सकी। आज भी मुझे एक सूचना मिली है और वह कन्फर्मड सूचना है कि वहां एक ऐसे ऐग्जैक्टिव

आफिसर को लगाया जा रहा है जो बिल्कुल रा हैड है। वह महेन्द्रगढ़ प्रैक्टिस करता है। क्या उसे ऐग्जैक्टिव आफिसर इसलिए बना रहे हैं क्योंकि सरकार पर कोई जबरदस्त पोलिटिकल दबाव है या वह किसी बड़े आदमी का रिश्तेदार है? (विघ्न)

श्री सभापतिः अब आप वाईन्ड अप कीजिए।

श्रीमती ड. कमला वर्माः सभापति महोदय, यमुनानगर अपनी स्टेट को सबसे ज्यदा रेवेन्यू देने वाला इंडस्ट्रियल कंपलैक्स है। यहां की म्यूनिसिपल कमेटी सबसे ज्यादा रेवेन्यू स्टेट को देती है। उसकी तरफ इस सरकार को अवश्य ध्यान देना चाहिए। (विघ्न) सभापति महोदय, यह बजट घाटे का बजट है। कांग्रेस सरकार को आदत पड़ गई है कि बजट सैशन के बाद हर सैंशन में सप्लीमैंटरी मांगो के द्वारा पैसा मांगना व आर्डिनैन्सिज के जरिये जनता के ऊपर टैक्स लगाना जो ठीक बात नहीं है इसलिए मैं इसका विरोध करती हूं और आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेती हूं।

चौ. जयदीश कुमार बेनिवाल (दरबा कलां): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए टाइम दिया, आपका धन्यवाद। मैं डिमाण्ड न. 4, 15, 17, 21 और 22 पर बोलूंगा। सभापति महोदय, मैं सबसे पहले डिमांड न. 21 ले रहा हूं। यह कम्यूनिटी डिवेल्पमैंट के बारे में है। इसके द्वारा 14,44,46,030 रूपये मांगे गये हैं ताकि कोआप्रेटिव स्टोर्ज खोल कर देहात और शहरों में

लोगों को सस्ती चीजें मुहैया की जा सकें, लेकिन आज हो क्या रहा है? आज सारे के सारे स्टोर्ज घाटे में चल रहे हैं। पांच हजार तक की आबादी वाले गांव में इन्होंने कोआप्रेटिव स्टोर खोल तो दिये हैं लेकिन वे अभी काम नहीं कर रहे। मैं तो ये कहूंगा कि अपने लोगों को नौकरी देने के लिए ओर सस्ते भाव की चीजें देने के लिए ये स्टोर्ज खोले गये हैं क्योंकि देखने में यह आया है कि सस्ता कपड़ा, जैसे धोती या पापलीन आदि, देहातों में लोगों को नहीं मिलता बल्कि वह सारे का सारा शहरों के अन्दर कुछ लोगों को दे दिया जाता है। (विघ्न)

सभापति महोदय, डिमांड न. 4 के बारे में अर्ज यह है कि जनता सरकार के राज में तहसीलों के अन्दर रेडक्रास की टिकटें बेचनी बन्द कर दी गई थीं लेकिन जब से चौ. भजन लाल मुख्यमंत्री बने हैं तबसे किसान रैली की तरफ और इस काम की तरफ इन्होंने बहुत ध्यान दिया है। (विघ्न एवं शोर)

श्री सभापतिः आप डिमांड पर ही बोलें तो अच्छा होगा।

चौ. बीरेन्द्र सिंहः ये रेवेन्यू की डिमांड पर बोल रहे हैं। (विघ्न)

चौ. जगदीश कुमार बेनिवालः चेयरमैन साहब, मुझे बड़े दुःख से कहना पड़ता है कि रजिस्ट्री करवाने के समय दो हजार रूपये के चन्दे से बात भुरू करते है लेकिन खत्म पांच सौ रूपये पर हो जाती है। इस तरह की सौदेबाजी चेयरमैन साहब खत्म

होनी चाहिए। अब मैं चेयरमैन साहब, डिमांड न. 15 पर आता हूं जो सिंचाई विभाग से ताल्लुक रखती है। चेयरमैन साहब, जब चौ. भजन लाल जी चीफ मिनिस्टर बने थे तो इन्होंने सबसे पहली स्टेटमैंट यह दी थी कि एस.वाई.एल. के पानी का फैसला पन्द्रह दिन के अन्दर करवा दूंगा लेकिन पन्द्रस दिन की बात तो छोड़िए आज तक वह फैसला नहीं हुआ। मैं उनसे कहता हूं कि सिर्फ नारों से काम नहीं चलेगा, इस बारे में कोई ठोस कदम उठाए जाएं। (विघ्न) चेयरमैन साहब, मेरा इलाका रेतीला इलाका है। यह राजस्थान से लगता हुआ इलाका है। वैसे भी यह टेल पर लगता हुआ इलाका हैं। वहां पूरा पानी नहीं पहुंचता। इसके इलावा हैरानी की बात यह है कि डिस्ट्रिक्ट सिरसार के एस.ई. का नहरी पानी पर कन्ट्रोल न होकर के जिला हिसार के एस.ई. के हाथ में कंट्राल है। इसकी वजह से हमें पानी कम मिलता है क्योंकि सारे का सारा पानी आदमपुर साईड मं दे दिया जाता है। हमें पानी के लिये हिसार डिस्ट्रिक्ट की तरफ देखना पड़ता हैं पिछले दिनों इन्होंने बिजाई के टाईम डेढ़ महीने तक नहर बन्दी रखी। (विरोधी पक्ष से भर्त्सना)

चौ. बीरेन्द्र सिंह: भट्ठू का जब इलैक्शन था तो सारा पानी भट्ठू को दे दिया। (विघ्न)

श्री सभापति: वह तो अच्छी बात है।

चौ. बीरेन्द्र सिंह: यह तो निहायत शर्मनाक बात है।

श्री सभापतिः पानी न दे तो दिक्कत, पानी दे दें तो दिक्कत। (विघ्न)

चौ. जगदीश कुमार बेनिवालः चेयरमैन साहब, यही हिबसा बिजली का है। हिसार को जो इंडस्ट्रियल एरिया है, वही सारी बिजली खा जाता है। अगर कभी बिजली मिलती भी है तो एक रोज छोड़ कर मिलती है और वह भी केवल दो घंटों के लिए मिलती है। इसके अलावा वहां पर लोगों के मीटर जल रहे हैं। इसकी तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। (घंटी)

चेयरमैन साहब एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि इस साल बारिश तो अच्छी हो गई लेकिन इस बारिश के साथ साथ जिला सिरसा में ओले भी पड़े हैं जिससे किसान का बहुत नुक्सान हुआ है। इसके लिए किसानों को कुछ राहत दी जानी चाहिए।

चेयरमैन साहब, इन शब्दों के साथ मैं अन्त में सरकार से फिर निवेदन करूंगा कि हमारे इलाके में एक तो बिजली का पूरा प्रबन्ध रखें, चाहें इसके लिऐ इन्हें कोई अलग से लाईन देनी पड़े। दूसरे वहां के किसानों को पानी भी पूरा मिलना चाहिए। इन दोनों चीजों के लिये हमें हिसार पर निर्भर नहीं रखा जाना चाहिए। हमारा इलाका रेतीला होने के बावजूद भी वहां पर पहले पक्की नहर नहीं बनायी जा रही हैं यहा पर नहरें पक्की पहले बनायी जानी चाहिए। फतेहाबाद ब्रांच में 2300 क्यूसिक पानी

चलता है लेकिन इस ब्रांच के अन्दर दो हजार 50 क्यूसिक से ज्यादा पानी नहीं मिलता है। इस तरह से हमारा 250 क्यूसिक पानी तो वैसे ही मारा जाता है 500 क्यूसिक पानी सीपेज में चला जाता है। इसलिये मेरा कहना यह है कि सिरसा के अन्दर नहर और खालें पहले पक्के किये जाने चाहिए।

कृशि के बारे में डिमांड नम्बर 17 है। आजकल सभी चीजों की कीमतें बढ़ गई हैं। डीजल, खाद, बिजली और ट्रैक्टर की कीमत बढ़ गई है। जो भी देहात का आदमी चीज लेता है उसकी कीमत बढ़ चुकी है लेकिन उसके अनुपात में किसानों की जिन्स की कीमतें नहीं बढ़ायी गई है। अगर कोई फैक्टरी वाला अपनी फैक्टरी में कोई नट तैयार करता हे तो उस पर दस परसैन्ट मुनाा लेता है या नी एक रूपये पर 25 पैसे जरूर लेता है लेकिन आज किसान की लागत ज्यादा बढ़ गई है उसके एवज में उसको पूरी कीमत नहीं दी जा रही है। काग्रेस सरकार कहती है कि हमने 117 रूपये से 130 रूपये गेहूं का भाव कर दिया लेकिन इन्होंने दूसरी चीजो ंकी कीमत 40 परसैन्ट बढ़ायी है और किसान को उसकी फसल की कीमत 15 परसैन्ट बढ़ायी है।

इससे भी ज्यादा एक बात और सरकार के नोटिस में लाना चाहता हूं सिरसा मार्किट सारे हरियाणा में सबसे ज्यादा आमदनी देती है वहां की आमदनी तीन करोड़ के लगभग है लेकिन वहां पर जो सैक्रेटरी लगा हुआ है वह व्यापारियों से मिला

हुआ है। किसानों को उनकी जिन्स की पूरी कीमत नहीं लैने देता।

दूसरी मंडियों में भाव ज्यादा होते हैं लेकिन यहां पर कम देते हैं। उसने किसान रैली के लिये चन्दा इक्ट्ठा करके दिया। इसलिये मेरी आपसे गुजारिश है कि किसानों को उनकी जिन्स की कीमत पूरी दिलायी जाये और मन्डी फेल होने से बचाई जाये। इन शब्दों के साथ मैं डिमांडज का विरोध करता हूं।

चौत्र शकरूल्ला (फिरोजपुर झिरका): सभापति महोदय, मैं डिमांड नम्बर 15 पर बोलना चाहता हूं। मुझे आज से पहले कभी भी किसी मौके पर बोलने के लिये टाईम नहीं मिला था। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने टाईम दिया। मैं चौ. भजन लाल जी का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेवात जैसे पिछड़े इलाके के लिये मेवात बोर्ड बनाया है। मैं समझता हूं कि पिछले 32 साल से, और अगर मैं यह कहूं कि सदियों से किसी भी सरकार ने मेवात की तरफ ध्यान नहीं दिया, तो कोई गलत बात नहीं होगी।

चौ. बीरेन्द्र सिंह: सभापति महोदय, हमें मजबूर हो कर बोलना पड़ता है। ये कहते हैं कि मेवात पर एक पैसा भी नहीं खर्च किया। हमारी सरकार ने 38 करोड़ रूपया उजीना डायवर्शा ड्रेन के लिये दिया था। हमने ही बनायी थी। हम वहां गये थे और

शकरूल्ला साहब के घर पर खाना खाकर आये थे लेकिन उनका यह कहना कि हमने कुछ नहीं किया बड़ी गलत बात है।

चौ. शकरूल्ला: आप ठीक कहते हैं। जितना आपने किया उतना तो हम मानते हैं और उसके लिये आपका धन्वाद करते हैं। सभापति महोदय, मैं कह रहा था कि हमारी सरकार बहुत ही अच्छी है। इसमें जो वहां पर काम किया है वह काबिले तारीफ है। मैं अपनी सरकार को धन्यवाद देता हूं। इस सरकार ने मेवात विकास बोर्ड बनाया। यह पहली सरकार है जिसने उस इलाके में सिंचाई का प्रोग्राम सबसे पहले बनाया है। (इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए)। अभी चौ. वीरेन्द्र सिंह जी फरमा रहे थे कि उजीना ड्रेन हमने निकाली थी लेकिन यह तो बहुत पुरानी स्कीम थी। जब हमने इस स्कीम के यि मांग रखी तो हमारे उस समय के मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर ने कहा कि वह इलाका तो ज्यादा मेवों का इलाका है इसलिये वहां पर 36 करोड़ रूपया लगा कर क्या करेंगे। इस टाईम के मौजूदा वित्तमंत्री चौ. खुरशीद अहमद और मौजूदा चीफ मिनिस्टर के नोटिस में यह बात लाये तो उन्होंने मेवात विकास बोर्ड बनाया और दूसरे मेवात के एरिया के लिये उजीना ड्रेन से उजीना डायवर्शन नहर निकाल कर जमुना में डाली गयी। लेकिन उस समय मिनिस्टर और अफसरान का इतना बउ़ा हिस्सा था कि जो नहर उस समय बनाई गई थी, उस समय जितने भी अफसर वहां पर एस.डी.ओं. से लेकर एक्सीयन तक लगे हुए थे उन्होंने वहां पर काम करते हुए फरीदाबाद में कोटियां बना

ली हैं और कारें खरीद ली हैं। हमने उस सरमार के सामने यह मांग रखी थी कि उन अफसरों को तुरन्त बदला जाये ओर जितने भी अफसरों ने वहां पर काम करते हुए कोठियां और कारें खरीदी हैं उनकी इन्क्वायरी कराई जाये लेकिन इन्होंने हमारे बार–बार कहने के बावजूद भी कुछ कार्यवाही नहीं की। जब से हमारी सरकार आई है और चो. भजन लाल जी मुख्यमंत्री बने हैं, इन्होंने उन तमाम अफसरों को वहां से बदल दिया है। पिछली सरकार ने रहते हुए वहां पर किसी ने कुछ भी काम नहीं दिया लेकिन जब से चौ. भजन लाल जी आये हैं, वहां पर कार्य शुरू हो गया है। हमारे इलाके में जो उजीना डायवर्शन कैनाल निकाली हुई है, वह बिल्कुल सूखी पड़ी है। इसलिये मैं मांग करता हूं कि वहां पर पानी दिया जाये ताकि पैदावार बढ़ सके। वहां पर पानी न होने के कारण मवेशी प्यासे मर रहे हैं। इसलिये मैं ज्यादा न कहते हुए केवल अपनी सरकार से यही मांग करता हूं कि वहां पर ज्यादा से ज्यादा पानी दिया जाये। इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

चौ. प्रताप सिंह ठाकरान (गुड़गांव): चेयरमैन साहब, मैं डिमांड न. 22 जो को–आप्रेशन डिपार्टमैंट के सम्बन्ध में है, के बारे में अर्ज करना चाहता हूं। जैसा कि सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि कि को–आप्रेशन डिपार्टमैंट एक बहुत ही इम्पोर्टैन्ट महकमा हैं। हमारे प्रदेश में देहात के अन्द यही एक महकता है जो फाइनैंस के तौर पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को सहयोग देता है।

इस सरकार के आने के बाद इस डिपार्टमैंट में बहुत ही सुधार हुआ है जो वाकई बड़ा सराहनीय हैं लेकिन फिर भी अभी इस डिपार्टमैंट में काफी कुछ करना शेश हैं कई जगहों पर काम अब भी ठीक नहीं हो रहा है। मैं आपको गुडगांवा को–आप्रेटिव बैंक की मिसाल देना चाहता हूं। वहां पर उस बैंक का एक बोर्ड बना हुआ हैं वहां पर दो मैम्बरों को हाई कोर्ट की तरफ से सटे मिला हुआ है। उस बोर्ड का कोई चेयरमैंन नहीं है। जो आई.ए.एस. अफसर वहां पर लगा हुआ है वह आजकल ट्रैनिंग पर गया हुआ है। वहां के कुछ मैम्बर चाहते हैं कि फौरन इलैक्शन किये जायें। इस सम्बन्ध में मैं सरकार से गुजारिश करना चाहता हूं कि जल्दबाजी में कोई काम नहीं होना चाहिए। वहां पर जो धांधले बाजी चल रही हैं उसके लिए मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि इन्क्वायरी करवाई जाये और इलैक्शन को पोस्टपोन कराया जाये। इन शब्दों के साथ मैं अपना स्थान लेता हूं।

श्री लहरी सिंह मेहरा (रादौर–अनुसूचित जाति): उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं मांग न. 15 पर जो सिंचाई विभाग से सम्बन्धित है बोलना चाहूंगा। इसमें कोई शक नहीं है कि सरकार ने सिंचाई के क्षेत्र में काफी ठोस कदम उठायें हैं जिसके कारण काफी हद तक किसानों को पानी मिल सका है और पैदावार में बढ़ौतरी हुई है। इसके साथ ही साथ मैं सरकार से एक बात और कहूंगा रादौर हल्के में जो आगुमैन्टेशन नहर निकाली गई है, वह मेरे हल्के से निकलती है जो आगे महेन्द्रगढ़

और नारनौल जाती हैं उस इलाके को मेरे इलाके का पानी मिलता है। बजट भाशण पर बहस के दौरान भी मैंने अपना विचार इस सम्बन्ध में रखा था। मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि मेरे हल्के में यानी जहां से यह नहर निकलती है, उस इलाके में पानी की सतह काफी नीचे चली गई है। इसके साथ साथ मैं यह भी बताना चाहूंगा कि इस आवर्धन नहर के साथ साथ जो टयूबवैल्ज लगे हुए हैं उन में से सिर्फ 40 प्रतिशत टयूबवैल्ज ही काम कर रहे हैं और 60 प्रतिशत टयूबवैल्ज बिल्कुल नहीं चलते, वे सबके सब बेकार पड़े हैं। मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि उन सभी टयूबवैल्ज को चालू करके इस नहर में पानी डाला जाये ताकि वहां के किसानों को कोई दिक्कत न आये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको भी निमंत्रण देता हूं आप भी आकर देखें कि किस प्रकार से वे 60 प्रतिशत टयूबवैल्ज सूखें पड़े हैं। मेरे इल्के के अन्दर एक वैस्टर्न जमुना कैनाल है एक आगुमैन्टेशन कैनाल है और 6 मील के एरिया के अन्दर 4 छोटी छोटी ड्रेनज हैं। आपको वहां पर हर मील के बाद एक नहर या ड्रेन मिलेगी वहां पर अब एक चैनल सर्वे चल रहा है। इस बारे में मेरा कहना यह है कि वह इलाका पहले ही काफी उजड़ा हुआ है और वहां पर अब ज्यादा चैनल सर्वे न कराया जाये। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि उस उजड़े हुए इलाके की तरफ खास ध्यान दें। अगर उसका सुधार नहीं किया जाता तो कम से कम उस इलाके को जैसा है वैसा ही रहने दिया जाये। उसको और ज्यादा न उजाड़ा जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं दावे के साथ कहता हूं कि वहां पर 60 प्रतिशत बन्द पड़े हैं ओर केवल 40 प्रतिशत टयूबवैल्ज ही कार्य कर रहे हैं। दूसरे वहां पर आजकल एक सर्वे किया गया है। यह सर्वे उन हेड़ी जठलाना, मारूपुर, माधूबास, रजेड़ी, मधार, कन्डरोली नचरोन और खुर्दबन आदि गांवों में किया जा रहा है। वहां के इलाके का पानी का लैवल पहले ही काफी नीचे गया हुआ हैं इसलिये मेरी सरकार से यह प्रार्थना है कि इस नए चैनल के लिये जो सर्वे किया जा रहा है उसको बन्द कर दिया जाये ओर जो टयूबवैल्ज बन्द पड़े हैं उन्हीं को ही सरकार ज्यादा से ज्यादा चलाने की कोशिश करें।

इसके साथ ही साथ मैं दूसरी डिमांड पर आता हूं। डिप्टी स्पीकर साहब, मेरी दूसरी डिमांड यह है कि जहां मेरे हल्के से इतना पानी लेजा रहे हैं वहां दूसरी तरफ मेरे हल्के में सिंचाई के बहुत कम साधन हैं इसलिये वहां पर ज्यादा से ज्यादा टयूबवैल्ज ला दिये जाएं। वहां पर जो टयूबवैलज को बिजली दी जाती रही है वह बहुत कम दी जाती रही है। एक मार्च से तो बिजली की हालत अच्छी हे और वह ठीक आ रही है लेकिन उससे पहले बहुत कम बिजली मिली है। कम बिजली के बावजूद चाहे वह दस मिनट के लिये आई या पन्द्रह मिनट के लिये आई, दिन रात किसान खेत में बैठार रहा और उसने अपनी फसल को बचाया। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि मेरे हल्के के कम से कम एक सौ गावों में बहुत ओले पड़े हैं। यह नैचुरल कैलेमिटी है। इसके लिये

सरकार ने सहायता की घोशणा की है, उसका मैं स्वागत करता हूं। डिप्टी स्पीकर साहब, सभी किसानों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियतें मिलें, यही मेरी अपील है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं ऐग्रीक्लचर के बारे में कुछ बातें कहना चाहता हूं। आप जानते हैं क्योंकि आपको गांव के बारे में जानकारी है कि गांव में रहने वाला ज्यादा तबका किसान हैं। चाहे गरीब है या अमीर है, छोटे से लेकर बड़े तक, बड़ी मेहनत से काम करते हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, मेरे हल्के में खासतौर से छोटे किसान हैं। ऐग्रीक्लचर के लिये जितना पैसा रखा गया है, मैं सदन को एक बात बड़े यकीन के साथ कहना चाहता हूं कि इससे गरीब किसान को कम फायदा पहुंचेगा। इसलिये मेरी सरकार से प्रार्थना है कि जो छोटे किसान हैं, जैसे दो तीन या पांच एकड़ वाले किसान हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाने के लिये अधिक से अधिक कदम उठाए जायें।

डिप्टी स्पीकर साहब, इसके बाद मैं मांग नम्बर 21 पर बोलना चाहता हूं। डिप्टी स्पीकर साहब, इसमें 144446030 रूपये का प्रावधान किया गया है। डिप्टी स्पीकर साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि गांव का विकास होना चाहिए, कम्युनिटी डिवैल्पमैंट जरूर होनी चाहिए। इस बारे में मेरा निवेदन है कि मेरा जो हल्का है उसमें सबसे ज्यादा गरीब गांव है। मेरे हल्के में 216 गांव हैं और इसमें से सिर्फ एक–दो गांव को छोड़कर किसी गांव में भी पंचायतघर नहीं है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि हर गांव में

पंचायत घर बनाने के लिये बीस हजार रूपया जल्दी से जल्दी दिया जाना चाहिए ताकि गांव की जो पंचायत हैं उसकी वहां पर मीटिंग हो सके। अगर कोई आदमी अपने घर पर पंचायत की मीटिंग बुलाता है तो आपस में पार्टीबाजी होने के कारण वे लोग उस मीटिंग में नहीं आते। अगर हर गांव में पंचायत घर बना दिए जाएंगे तो जब भी पंचायत की मीटिंग होगी तो सब लोग उसको अटैन्ड कर सकेंगे। मैं इतना कहकर बैठता हूं।

चौ. हरिचन्द हुड्डा (किलोई): डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आपका शुक्रिया इसलिये अदा करना चाहता हूं कि कई बार हाउस में बजट पास हो जाता है ओर कई बातें ऐसी रह जाती हैं जिनका जिक्र होना जरूरी होता है। मैं डिमांड नम्बर 15 और 17 दोनों के ऊपर एक साथ बोलना चाहता हूं क्योंकि ये दोनों डिमान्डज मिलती जुलती हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, बगैर पानी के खेती नहीं, और खेती के इंडस्ट्री नहीं और बगैर इंडस्ट्री के कोई रोटी नहीं और कोई नौकरी नहीं। (व्यवधान) आज हिन्दुस्तान की आर्थिक पोजीशन खराब होने का कारण यह है कि आज दुनिया के 124 मुल्को में हिन्दुस्तान की पोजीशन 120 वीं हैं और जो बाकी चार मुल्क हैं वे दुनिया के नक्शे पर आर्थिक दृश्टि से नहीं हैं। हिन्दुस्तान को एक भुखमरा देश माना जाता है जो मांग मांग कर अपना गुजारा करता है। कृशि की तरफ पिछले तीस बत्तीस साल में कोई ध्यान नहीं दिया गया है और इसका सबसे बड़ा कारण यह है जो कुछ औयर्ज ने

अपनी किताबों में लिखा है। The names of the Books and authors are as such :-

1. Biography of J.P. Babu.

2. Ram Manohar Lohia in Parliament.

3. Corruption and New Rule by B.N. Ganguli.

4. Poverty in India by V.N. Gadgil.

5. Challenge to poverty by H.S. Hisk.

After going through all these books I can say that it is not a budget but a tug of war of economy between the rich and the poor and the bureaucratic machinery has been on the side of the rich man. In the circumstances, the national income has never been equally districbuted. That is why the poor man becomes poorer day by day and the rich becomes richer. So this is the reason for the backwardness of this country.

डिमांड नम्बर 15 और 17 को इसलिये इकट्ठा कर रहा हूं कि ये एक जैसी ही हैं। पिछले तीस साल मैं जो हालात रहे हैं उसमें किसान को निगलैक्ट किया गया है और उसको निगलैक्ट करने का कारण यह है कि हिन्दुस्तान के 36 परसैन्ट लोग इस देश को भूखा रख रहे हैं। वे जगह जगह से मांग कर अनाज ला रहे हैं और इस बात ने यहां के लोगों को निकम्मा बना दिया है। दुनिया में यह बात फैल रही है कि हिन्दुस्तान एक नंगा और भूखा देश है और जगह जगह मांगता फिर रहा है। डिप्टी स्पीकर साहब,

पिछले दिनों मैं हरियाणा मैं एक ड्रामा देखा और वह ड्रामा इस प्रकार थाः— * * * * । यह थी उस ड्रामें की बात। (व्यवधान)

वित्तमंत्री (चौ. खुरशीद अहमद): आन ए प्वायंट आफ आर्डर। डिप्टी स्पीकर साहब, एम.एल.एज. के बारे में कोई ऐसी बात नहीं कही जा सकती है। बड़े ही खेद की बात है कि एम.एल. एज. के बारे में इस तरह की बातें कही जा रही हैं। ऐसे शब्द चाहे कोई बुजुर्ग मैम्बर कहे या कोई दूसरा कहे ठीक नहीं है। डिप्टी स्पीकर साहब, यह इतनी गल्त बात है कि जो कुछ भी एम. एल.एज. के बारे में कहा गया है वह एक्सपंज होना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)।

श्री उपाध्यक्ष: जो शब्द हुड्डा साहब ने कह हैं वे एक्सपंज कर दिये जाए।

चौ. हरिचन्द हुड्डा: * * * * (शोर एवं व्यवधान)

आवाजें: डिप्टी स्पीकर साहब, हुड्डा साहब कौन सी डिमांड पर बोल रहे हैं?

चौ. हरिचन्द हुड्डा: डिप्टी स्पीकर साहब, यह हिन्दुस्तान की जो भूमि है, यह ऋशिमुनियों की भूमि है, इसको यूं ही बदनाम यिका जा रहा है। डिप्टी स्पीकर साहब, इस सरकार को असली मायनों में कुछ करके दिखाना चाहिए, यूं ही कागजों से लोगों के पेट नहीं भरा करते। (शोर एवं व्यवधान) यह सरकार के लिये बड़ी शर्म की बात है कि इस सरकार के राज्य में किसान

बुरी तरह से पिस रहा है और यह सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है (शोर एवं व्यवधान) (इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए)

श्री अध्यक्षः हुड्डा, आप कौन सी डिमांड पर बोल रहे हैं?

चौ. हरिचन्द हुड्डाः स्पीकर साहब, मैं डिमांड नम्बर 15 और 17 पर बोल रहा हूं ऐग्रीकल्चर और इरीगेशन से सम्बन्धित हैं। * * * *

चौ. खुरशीद अहमदः स्पीकर साहब, ये इररेलेवेन्ट बोल रहे हैं, इन्होंने एम.एल.एज. की शान के खिलाफ ऐसे लफ्ज इस्तेमाल किये हैं, जोकि यहां पर नहीं करने चाहिए थे Speaker, Sir, it is irrelevant to the subject of the debate and the whole of the speech should be expunged, whatsoever Sh. Hooda has said.

चौ. हरिचन्द हुड्डाः स्पीकर साहब, मैं कोई ऐसे लफ्ज नहीं कहे। अगर कहे हैं तो मैं दण्ड का भागी हूंगा नहीं तो भाई खुरशीद अहमद होंगे। (शोर एवं व्यवधान) मैं जो बातें कह रहा हूं, अपने सच्चे मन से कह रहा हूं। मेरी सच्चाई को यहां पर सब लोग सुन रहे हैं, हरियाणा की जनता सुन रही है, उसको कोई चैलेन्ज नहीं कर सकता। (शोर एवं व्यवधान)

चौ. गया लालः अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है कि चौ. हरिचन्द हुड्डा कौन सी डिमांड पर बोल रहे हैं। (शोर)

श्री अध्यक्षः हुड्डा साहब, यहां पर जो डिमान्डज डिस्कस हो रही हैं आप उन पर ही बोलिये।

चौ. हरिचन्द हुड्डाः स्पीकर साहब, मैं डिमांड नम्बर 15 और 17 पर बोल रहा हूं। स्पीकर साहब, इस हरियाणा के आकड़े कहते हैं कि इस हरियाणा में गरीबी की परसैन्टेज दिन–ब–दिन बढ़ती ही जा रही हैं (घंटी) अन्त में, मैं एक बात कहकर अपना स्थान लूंगा कि मेरे इन सुझावों पर सरकार अच्छी तरह से गौर करे ताकि हरियाणा के किसानों में जागृति आ सके। अगर सरकार ने इस तरफ ध्यान न दिया तो हरियाणा प्रान्त की हालत और खराब हो जाएगी और हय जो पूंजीपतियों का बजट है, परमात्मा करें कि यह आखिरी बजट हो, इसके बाद और कोई बजट न हो। मेरी भगवान से प्रार्थना है कि भगवान इस पूंजीपतियों की सरकार को जल्दी ही खत्म करें, भगवान बड़ा दयालु है, कृपालु है, मुझे पूर्ण भरोसा है कि मेरी बात अवश्य सुनी जाएगी और यह सरकार जल्दी ही चलती बनेगी।

चौ. हरस्वरूप बूरा (मेहम)ः अध्यक्ष महोदय, मैं डिमांड नम्बर 15 और 17 पर अपने विचार रखने के लिये खड़ा हुआ हूं। दो तीन सुझाव मैं अपनी सरकार को देना चाहता हूं। इरीगेशन के मुतल्लिक मैं यह कहना चाहता हूं कि जो आउटलेटस होते हैं, जब ओवरसीयर की बदली हो जाती है, तो वे उनकी अपनी मर्जी से बढ़ा लेते हैं और दूसरा ओवरसीयर जब आता है तो वह नार्मज के अनसुार साईज का कर देता है इस लिये मेरी सरकार से गुजारिश

है कि इसके लिये स्पैसीफिक हिदायतें होनी चाहिए कि बगैर ऐप्लीकेशन लिये, बगैर किसानों के नोटिस में लाये, उन आउटलेटस को बिल्कुल छेड़ा न जाए। यह सारा काम पेसे दे लेकर हो जाता है और उन आउटलेटस को रिकार्ड के मुताबिक नहीं रखा जाता जिसके कारण किसानों को काफी परेशानी होती है और काफी नुक्सान भी उठाना पड़ता है इसलिये सरकार इस तरफ ध्यान दे।

दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, यह है कि माईनर्ज के ऊपर साईफन बहुत निकाले हुए हैं जोकि अनआथोराइजड हैं और वहां पर अन आथोराईजड तरीके से पानी का इस्तेमाल किया जाता है और इससे जो लोग टेल पर होते हैं उनको काफी नुक्सान होता है, ल्लित का सामना करना पड़ता है। इसलिये मेरी सरकार से गुजारिश है कि इस तरफ भी कड़ी गिगरानी रखी जाए ताकि जो लोग टेल पर हैं, उनको परेशान न होना पड़े।

तीसी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि यहां पर एक बात का जिक्र आया था कि हमने राईस का एक कंपेक्ट एरिया निर्धारित किया है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि कई जगहें ऐसी हैं जहां पर राईस तो पैदा नहीं होता और लोग वहां पर बाजरा बीज देते हैं लेकिन उस जगह को भी कंपेक्ट एरिया होने की वजह से राईस में शामिल कर दिया जाता है। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि उसमें दोनों बातें कर दी जाए यानि राइर्स और बाजरा दोनों को शामिल कर दिया जाए।

इसके बाद एग्रीक्लचर के बारे में एक बात क्राप इंशोरेन्स की भी हो रही है। उसमें दिक्कत क्या होती है कि जब किसी का डैमेज होगा तो उस डैमेज की असैसमैंट कौन करेगा? पटवारी मिलजुल कर के जो अपनी मर्जी से करना होता है, कर देते हैं। इसलिये मेरी सरकार से गुजारिश है कि इस काम के लिये एक कमेटी बनायी जाए, जिसमें फार्मर्ज हों और गांव के लोग भी उस कमेटी में हों ताकि ठीक हालत का जायजा लगाया जा सके और किसी को किसी किम्म की शिकायत भी न रहे। इन कुछ सुझावों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

कृशि मंत्री (श्री शमशेर सिंह): स्पीकर साहब, डिमांड न. 17 बारे में 13 के करीब माननीय सदस्यों ने अपने अपने सुझाव दिये हैं या नुक्ताचीनी की है उनमें से अध्यक्ष महोदय, मैं 13 में से 12 माननीय सदस्यों के नुकतों के बारे में (श्री हुड्डा साहब को छोड़कर) आपके माध्यम से सदन में बताना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मुख्य सुझावों को चार कैटेगरीज में तकसीम किया जा सकता है। यहां पर खाद स्कैन्डल के नाम से चर्चा की गयी है। श्री गुलजार सिंह और श्री सुरेन्द्र सिंह ओझला इन दो मैम्बरों ने खास तौर पर खाद स्कैन्डल के बारे में चर्चा की हैं अध्यक्ष महोदय, दिसम्बर 1980 और जनवरी 1981 में सरकार के नोटिस में यह बात आई कि हरियाणा के मिलने पर सरकार ने बहुत बड़े पैमाने पर कई जगहों पर छापे मारे। 12 सौ डीलर्ज के खाद के

सैम्पल लिये गये और लैबोरेट्री में उन सभी केसिज का अनैलैसिज कराया गया और इन सभी का रिजल्ट फाईनल हो चुका है। सौ से अधिक नमूने सब–स्टैन्डर्ड खाद के आए हैं। उनके खिलाफ मुकदमें दर्ज हो गये हैं और क्रिमिनल केसिज थानों में और कचहरियों में हैं। उनके लाईसैन्स या तो मनसूख हो चुके हैं या मनसूख करने की कार्यवाही चल रही है। इसके साथ साथ अध्यक्ष महोदय, जिन दो डीलरों की खास तौर पर चर्चा की गई उनमें से एक सिगंला फर्टिलाईजर यमुना नगर का था और दूसरे का इन्होंने नाम नहीं लिया शायद वह विशाल और मित्तल फर्टिलाईजर्ज वाले थे जिन्होंने सब–स्टैन्डर्ड खाद नकली थैलों में बेची। ये नकली थैलें दिल्ली से उनको मिल जाते हैं। उन्होंने दिल्ली से ये नकली थैले लाकर खाद सप्लाई की। इनके बोर में सरकार के पास शिकायत आई थी। इसके साथ साथ अब से पहले लाईसैन्स कैन्सिल करने और जारी करने की पावर डी.सी. के पास थी। अब सरकार ने यह सोचा कि चूंकि डी.सी. के पास पहले ही बहुत ज्यादा काम होता है इसलिये यह काम डिप्टी डायरैक्टर, एग्रीक्लचर को दिया जाए। जो लि में खेती बाड़ी महकतें के उच्च अधिकारी हैं उनको यह अधिकार सरकार ने दें दिया है। उनको इस बात के लिये भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा। अगर किसी बात की शिकायत आएगी तो वह अफसर उन बातों के लिये जिम्मेदार होगा। स्पीकर साहब, अब पिछले डेढ़ महीने से सरेार को इस किस्म की एक भी शिकायत नहीं मिली है। जिन लोगों ने यह मिलावट की है उनके बारे में मेरे किसी भी साथी ने ऐसी बात

नहीं की है कि सरकार ने राजनीतिक तौर पर किसी के साथ कोई रियायत की है। स्पीकर साहब, भविश्य में इस किस्म की कार्यवाही कोई डीलर न करे उसके लिये हमने और भी कदम उठाए हैं। जैसे करनाल में जो एग्रीकल्चर डिपार्टमैंट की लैबोरेटरी है उसको हम और स्ट्रैन्थन करने जा रहे हैं। वहां पर और ज्यादा स्टाफ देंगे ताकि वह जल्दी से जल्दी दी कार्यवाही कर सके।

दूसरे बीज के बारे में शिकायत की गई थी। यह बात पहले भी आई थी यानी गवर्नर एड्रैस पर भी आई थी और हमारे वित्तमंत्री जी की स्पीच के वक्त भी आई थी। जो बीज की बात है चाहे आप इसे स्कैन्डल कह लीजिए या और कुछ कह लीजिए दरअसल अक्तूबर, 1980 में हरियाणा सरकार ने चने का बीज तकसीम किया। सारे हरियाणा में यह बीज बीजाई के लिये तकसीम किया गया था। उसकी मुख्य एजेंसी एक तो हैफेड थी और दूसरी सीड डिवैल्पमैंट कार्पोरेशन थी। इन्होंने अपने आउट लैटस के जरिये से बससीडाइज्ड रेटस पर किसानों को चने का बीच देना था। उस वक्त यानी अक्तूबर, 1980 में हरियाणा में चने का भाव तीन सौ या सवा तीन सौ रूपये क्विंटल था। इसलिये सरकार ने यह सोचा कि बीज का रेट इससे थोड़ा सा ऊपर निश्चित किया जाए ताकि इसका किसी तरह से मिस यूज न हो सके। इसका भाव 340 रूपये क्विंटल निर्धारित करके अलग अलग जगहों पर इसे दिया गया। मुख्य तौर पर जो शिकायतें आई हैं वे सिरसा जिला, भिवानी जिला और हिसार जिला से आई हैं।

मुख्यमंत्री महोदय ने उसी वक्त उनकी इन्क्वायरी डी.सी. हिसार को सौंप दी और रिपोर्ट मिलने के बाद क्रिमिनल केस भी दज्र करवाने से पीछे नहीं हटेंगे। (विघ्न)

आवाजें: उसकी पूरी डिटेल हमें बताई जाए।

श्री शमशेर सिंह: हम कोशिश करेंगे कि उस रिपोट्र को 28 तारीख से पहले पहले प्रोसैस करके उसका रिजल्ट सैशन में बताएं। स्पीकर साहब, जब यह शिकायत प्राप्त हुई थी मुख्यमंत्री जी ने डिप्टी डायरैक्टर, हिसार को उसी वक्त ट्रांसफर कर दिया था। हिसार जिले में केवल पांच हजार क्विंटल बीज दिया गया था और सारे हरियाणा में 15 हजार क्विंटल से कुछ अधिक था। यह तो बीज की बात है। तीसरी बात, जिसकी यहां पर, बहुत विस्तार से चर्चा हुई, थी गुलजार सिंह, श्री रघुनाि गोयल, डा. कमला वर्मा और श्रीमती सुशमा स्वराज ने उसमें भाग लिया। अध्यक्ष महोदय, वह है कि भारत सरकार ने गेहूं का मुख्य 130 रूपये प्रति क्विंटल अनाउंस किया है। उसके बारे में सदस्यों ने अपनी अपनी टिप्पणी की है। उसमें आम तौर पर उन्होंने यह बात कही कि यह भाव बहुत कम है। यह 150 या 160 रूपये का होना चाहिए था। इसके साथ उन्होंने यह भी उदाहरण दिया है कि डीजल, खाद, फर्टिलाईजर तथा खेती में काम आने वाली और चीजों के भाव पिछले दिनों में बहुत बढ़े हैं इसलिये किसानों के लिये 130 रूपये का भाव कबम है। अध्यक्ष महोदय, जैसे सबको पता है कि पिछले साल गेहूं का भाव 117 रूपये क्विंटल था। अध्यक्ष महोदय, जब से

गेहूं की स्टेट ट्रेडिंग शुरू हुई है तब से लेकर कभी भी एक बार में 13 रूपये भाव नहीं बढ़ा। हमने तो अब भी भारत सरकार को कहा था कि गेहूं की प्राइस 150 रूपये फिकस की जाए। (विघ्न)

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीक साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। यह तो सैन्ट्रल सब्जैक्ट है इसलिये यह यहां पर डिस्कस नहीं होना चाहिए। (विघ्न)

श्री शमशेर सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को दो बातें कहना चाहता हूं। हरियाणा सरकार ने जो भाव की डिमांड की थी उसका बेसिज क्या था। बहिन कमला वर्मा ने कहा कि जो लोग एयर कंडिशंड कमरों में बैइ कर भाव निर्धारित करते हैं उनको इसके बेसिज का पता नहीं है। लेकिन हरियाणा सरकार का जो बेसिज था, वह मैं बताना चाहता हूं। मैं उसको आपकी इजाजत से पढ़ना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, जिन बातों को ध्यान में रख कर किसी भी जिनस का भाव निर्धारित किया जाता है उसके बारे में मुझे सन्देह है कि जिन माननीय सदस्यों ने यह मुद्दा उठाया था उनको इस बारे में ज्ञान भी है। जिन बातों का सरकार ध्यान रखती है उनमें मुख्य तौर पर ये बातें हैं। जैसे आदमी जो काम करते हैं उनकी मजदूरी, पशुओं की मजदूरी, बीज की कीमत, खाद की कीमत, कीट नाशक दवाईयों की कीमत, जमीन का किराया, भू–राजस्व तथा दूसरे टैक्स को मिला कर और फिर इस पर साढ़े तेरह परसैन्ट ब्याज और साढ़े दस परसैन्ट निश्चित

लागत पर ब्यान लगाया जाता है यानी हर प्रबन्ध का खर्चा उसमें शामिल होता है।

डा. मंगल सैन: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी इसकी ब्रेक–आप के बारे में भी बताएं कि इसकी ब्रेक–आप क्या है?

18.00 बजे

श्री शमशेर सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं इसकी ब्रेक–आप भी बता देता हूं। हरियाणा सरकार ने भारत सरकार से प्राईस की जो मांग की थी उसमें जो आदमी की मजदूरी है वह 765 घंटे की 11 रूपये हर रोज के हिसाब से एक हजार 87 रूपये बैल की 194 घंटे की 18 रूपये जौड़ी प्रति दिन के हिसाब से 436 रूपये 60 पैसे और एक हैक्टेयर का 95 के.जी. बीज 1.50 बीज 1.50 रूपये के.जी. के हिसार से 142 रूपये 50 पैसे बीच की कीमत। एन.पी.के. फर्टीलाईजर 83 के.जी. 4.81 पर के.जी. के हिसार से 357 रूपये 73 पैसे। इरीगेशन चार्जिज एण्ड अदर चार्जिज जो है वह 0.21 रूपये पर यूनिट के हिसाब से 105 रूपये 84 पैसे। अध्यक्ष महोदय, इसका टोटल बर्किंग कैपीटल दो हजार 11 रूपये बनता है और इसके ऊपर इनट्रैस्ट 13.50 परसैन्ट के हिसाब से 70 रूपये 69 पैसे आजा हैं इसके बाद जो रैन्टल वैल्यू है वह 600 रूपये, लैन्ड रेवेन्यू 27 रूपये, डैप्रीसिएशन आन इम्पलीमैंटस एंड बिल्डिंग 64 रूपये इनट्रैस्ट जान फिक्सड कैपीटल एट दि रेट आफर 10.50 परसैन्ट पर एनम 67 रूपये 75 पैसे। इसका टोटल 75.25 रूपये।

इसका ग्रांड टोटल दो हजार 624 रूपये 38 पैसे एक हैक्टेयर पर किसान का खर्चा आता है ओर एक क्विंटल पर 113 रूपये 61 पेस किसान का खर्चा आता है। अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने एक क्विंटल पर जो खर्चा लगाया वह 114 रूपये पर क्विंटल कास्ट आफर प्रोडक्शन थी फिर भी हरियाणा सरकार ने किसान के हित को देखते हुए भारत सरकार से 150 रूपये पर क्विंटल भाव की मांग की थी और भारत सरकार ने 130 रूपये पर क्विंटल भाव जो दिया है इसके लिए मैं हाउस में दो अखबारों के एडीटोरियल की चन्द लाईने पढ़ कर सुनाता हूं। अध्यक्ष महोदय, डेली ट्रिब्यून 20 मार्च, 1981 के एडीटोरियल में लिखा है:—

..... "The increase of Rs. 13 per quintal over 1980-81 price is the highest in a single year, the price fixed in the previous seasons being Rs. 105 for 1976-77, Rs. 110 for 1977-78, Rs. 112.50 for 1978-79 and Rs. 115 for 1979-80.

चौ. हुक्म सिंह: स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है कि सरकारी फार्मो पर गेहूं की पैदावार करने में क्या लागत आती है जरा इसके बारे में मंत्री जी बताएं।

चौ. राम लाल वधवा: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी इसके साथ ही यह भी बताएं कि जो चीजें किसान को चाहिएं उनकी कितने परसैन्ट कीमत बढ़ी है।

श्री अध्यक्ष: यह कोई प्वायंट आफर आर्डर नहीं है।

श्री शमशेर सिंह: अध्यक्ष महोदय, मुझे एक लाईन और पढ़नी है। (शोर)

श्री अध्यक्ष: यह क्वैश्चन नहीं है कि कितनी प्राईस इनक्रीज हुई है। मंत्री जी ने वर्क आउट कियाहै कि आज के रैट से एक हैक्टेयर में गेहूं पैदा करने के लिये किसान को कितना पैसा खर्च करना पड़ता है।

Sh. Shamsher Singh: Mr. Speaker, I am further read out what the edictorial says –

"..... The new price seems reasonable and takes account of the soaring costs he has ot incur on vital inputs, labour, water, seeds and fertilizers."

और आगे कहा है:

"But the Cental Government while wishing to protect the farmer and encourage produciton by providing the maximum possible incentives, has evidently found that it could not go beyond Rs. 130."

अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से नैशनल लैवल का एक और पेपर है इकौनोमिक टाईम इसमें लिखा है कि यह प्राईस बहुत ठीक है। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, 19 मार्च, 1981 के इंडियन एक्सप्रैस में भी लिखा है: that ritual protests will be made by the Lok Dal and other parties Members because the price rice is enough. And they have first made the ritual protests in the House. अध्यक्ष महोदय, श्रीमती सुशमा स्वराज जी ने इसी विशय

पर बोलते हुए कहा कि 1977–78 ओर 1978–79 में जब जनता पार्टी का राज था उस समय हिन्दुस्तान में 12–13 करोड़ टन अनाज की रिकार्ड प्रोडक्शन हुई थी और उसके साथ ही साथ इन्होंने यह भी कहा कि 20 फीसदी सिंचाई में वृद्धि हुई थी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इनको यह बताना चाहूंगा कि जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन है इसमें ऐसा नहीं है कि आप टिकट के लिए पैसा दें और टिकट आपको मिल जाए। अध्यक्ष महोदय, जो इनफ्रास्ट्रैक्चर है इसके बारे में मैं श्रीमती सुशमा स्पराज जी से सवाल तो नहीं करूंगा लेकिन डिस्कशन के लिये एक प्वायंट कहना चाहता हूं कि एग्रीकल्चर पर यदि इनफ्रास्ट्रैक्चर स्टेट में बनाया तो वह पंडित जवाहर लाल नेहरू और श्रमती इंदिरा गांधी ने बनाया। यहां पर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनाई जिसके अन्दर एक्सपैरीमैंटस होते हैं। नए नए बीज निकले और बड़े बड़े इस्पात के फर्टीलाईजर के कारखाने लगे। उनकी जो ओरिएंटिउ स्कीमज थीं उनको कई कई साल बाद जाकर रिजल्ट निकला। (शोर) इसलिये अध्यक्ष महेादय हिन्दुस्तान जो अनाज इम्पोर्ट करता था वह कांग्रेस पार्टी के नेताओं की नीतियों की वजह से अपना अनाज बाहर भेजने के काबिल हुआ है।

श्रीमती सुशमा स्वराज: अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा कि पंडित जवाहर लाल नेहरू और इंदिरा गांधी ने इन्फ्रास्ट्रैक्चर बनाया है। मैं इन्हें बताना चाहती हूं कि पंडित जवाहर लाल नेहरू 1952 से 1964 तक प्रधान मंत्री रहे और श्रीमती इंदिरा गांधी 1966

से 1977 तक प्रधान मंत्री रही। लेकिन प्रोडक्शन 1977–78 में आकर बढ़ी। यह जो प्रोडक्शन बढ़ी है यह जवाहर लाल नेहरू और इंदिरा गांधी की वजह से और उसके द्वारा बनाये गये इन्फ्रास्ट्रैक्चर से नहीं बढ़ी। अगर उनके बनाये हुए इन्फ्रास्ट्रक्चर की वजह से बढ़ती तो उनके टाईम में बढ़ती, 1977–78 में क्यों बढ़ती? 1977–78 में प्रोडक्शन इसलिये बढ़ी क्योंकि सरकार ने फर्टिलाईजर पर 100 रूपये प्रति टन यानी 5 रूपये प्रति कट्टा कीमत कम कर दी जिससे किसानों को खाद डालने में मदद मिली और अधिक प्रोडक्शन हुई। इसलिये यह कहना कि श्री जवाहर लाल नेहरू और श्रीमती इंदिरा गांधी के इन्फ्रास्ट्रैक्चर की वजह से प्रोडक्शन बढ़ी है, गलत है। असल में प्रोडक्शन तो जनता सरकार के टाईम मे ंयानी 1977–78 में बढ़ी है। (व्यवधान)

श्री शमशेर सिंह: अध्यक्ष महोदय, यहां पर फसल बीमा के बारे में बात उठाई गई और कहा गया कि गेहूं की फसल को बीमा के नीचे लाया जाए और सारे हरियाणा का कवर किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मे। आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि फसल बीमा योजना के लिये अधिकारियों के स्तर पर एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई हुई है और इस कमेटी ने बहुत सी मीटिंज की हैं। दिसम्बर, 1980 को इस कमेटी ने पहली बार फैसला लिया कि जी.आई.सी. की मारफत फलस बीमा योजना हरियाणा में लागू की जाए। इस सम्बन्ध में एक दिन पहले एक टैलिग्राम आया जो आज मुझे पुट–अप हुआ है। इसके मुताबिक अभी तक इस स्कीम

की फाईनली एप्रूवल नहीं हुई है। अभी यह मामला कैबिनेट के सामने जाएगा, कैबिनेट की एप्रूवल के बाद ही इसे फाइनल एप्रूवल मिलेगी। इस स्कीम का मोटा–मोटा ब्यौरा यह है कि पैडी, बाजरा और व्हीट, यह तीन फसलें जिनको स्कीम के अन्दर लेने के लिये हमने प्रपोजल भेजी थी, इनका बीमा किया जाएगा। मैं अभी कोई बात डैफिनेटली नही कह सकता क्योंकि अभी पूरी डिटेल्ज आनी है। जब डिटेल्ज आ जायेगी तो हमको स्कीम के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो जायेगी। इसी तरह से एक पायलैट स्कीम हैं इसके लिये हरियाणा सरकार साढ़े 12 लाख रूपया देगी और साढ़े 37 लाख रूपयेा जी.आई.सी. देगी। इस तरह से वर्श 1981–82 में इस स्कीम को चालू करके का प्रयास किया जा रहरा है।

अध्यक्ष महोदय, बहिन सुशमा जी ने दो सवाल उठाये थे। एक तो यह कि दो लाख की जो चार्जड आइटम्ज हे, यह किस बात पर खर्च किया गया है या किया जायेगा अध्यक्ष महोदय, पिंजोर गार्डन की एक्सटैन्शन के लिये जो भूमि एक्वायर की थी, उस पर डिस्ट्रिक्ट जज ने कम्पनसेशन एनहांस कर दिया था जिसकी वजह से यह रूपया देना पड़ा। दूसरी बात यह है कि हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के प्लान में 2 करोड़ 10 लाख रूपये रखे गये थे लेकिन इन्होंने फरमाया कि 3 करोड़ 76 लाख 50 हजार रूपया है। इन्होंने यह कहा था कि ये फिगर्ज रीकन्साईल नहीं होती। अध्यक्ष महोदय, अगर इन्होंने बजट को पूरी तरह से पढ़ा होता तो इनकी समझ में आ सकता था और यह

रीकंसाईल कर सकती थीं। ये दो आइटम्ज हैं। एक 2 करोड़ 10 लाख की है जो प्लानिंग की आईटम है और दूसरी 3 करोड़ 76 लाख 50 हजार नान–प्लान की आईटम है। यह जो नान–प्लान की आईटम है यह डिफ्रेंट आईटम है जो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को एजुकेशन के लिए दी गई है। स्पीकर साहब, मैं ज्यादा वक्त ने लेता हुआ ब्रीफली कहना चाहता हूं। चार पांच आइटम्ज हैं तो खासतौर पर प्वायंट आउट की गई हैं। इनका जवाब मैं दूंगा और इनका जवाब आ जाने से बाकी सदस्यों के मुद्दों का जवाब भी आ जाएगा।

श्रीदीप चन्द भाटिया: आन ए प्वायंट आफर आर्डर। स्पीकर सहाब, पिछले साल गेहूं का रेट 117 रूपये था और सरकार ने इसको बढ़ाकर 130 रूपये कर दिया और जौ का रेट 85 रूपये था, अब इसको बढ़ाकर 105 रूपये कर दिया गया। अब देखने वाली बात यह है कि जौ पर जो 20 रूपये बढ़े हैं, वह क्येां बढ़े हैं? यह इसलिये बढ़े हैं कि हरियाणा प्रदेश का सैन्ट्रल गवर्नमैंट मे ंराव बीरेन्द्र सिंह इरीगेशन और एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, उन्हीं की कृपा से किसान को ये रेटस दिये गये हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह कोई प्वायंट आफ आर्डर नहीं है। आप बैठिए।

श्री शमशेर सिंह: अध्यक्ष महोदय, बजट पर बोलने हुए एग्रीकल्चर आइटम के ऊपर मेरे साथियों ने खाद, बीज और

एग्रीकल्चर इम्पलीमैंटस की कीमतें बढ़ने का जिक्र किया है। इन चीाजें के लिये बजट में जो प्रावधान किया गया है, वह संक्षेप में माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूंः—

Subsidy on Phosphate Fertilizer	10	Lac
Subsidy for Zine Sulphate	40	Lac
Subsidy for Seed	37	Lac
Subsidy for Aerial Spray	50	Lac
Pilot Scheme for establishment of Agri. Electronic Cell	6	Lac
Repair and maintenance of follow up installation of Gobar Gas Plants	10½	Lac
Integrated project for Production-cum-Marketing Vegetables Projects around Delhi	51½	Lac
Scheme for po;ularizatin of new Technoloby and Advance of Agri. Sector.	10	Lac
Scheme for Pest Disease, Seed, Control of weed on	18	Lac

Paddy Crop.		
Scheme for Integrated Sugarcane development	35½	Lac
Dry Land Farming Scheme	16	Lac
Construction of Rural Godomn	8	Lac

Special Programme for Rural Development			
	G.O.I.	State Share	
D.P.A.P.	90 Lac	90 Lac	1 Cr. 80 Lac
I.R.D.	2½ Cr.	2½ Cr. 34 Lac	5.34 Cr.
D.D.P.	1½ Cr.	1½ Cr.	3 Cr.

Seed Control on Wheat Crop	60	Lac
Cotton	67	Lac
Development of Pulses	62½	Lac

Oil Seeds	32½	Lac
Centrally sponsored schemes		
Improvement of existing storage at farmers level	44	Lac
Development of regulated Market	33	Lac
Minor Works of Irrigation	1	Lac
Subsidy on Prinklers (Irrig.)	33	Lac
Strengthening of ground water Organisation	21	Lac
Scheme for Reclamation of Saline Soil	47½	Lac
Subsity on Land levelling	10	Lac

अध्यक्ष महोदय, मेरे साथियों ने और भी बहुत सी बातें कहीं। जैसे यह कहा कि छोटे किसान, गरीब मजदूर को ऊपर उठाने के लिये बजट में कुछ नहीं यिका। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को और खास तौर पर श्री मूल चन्द जैन को बताना चाहता हूं जिन्होंने पिछले दिनों 6 लाख रूपये पर क्रिटिसीजम करते हुए कहा था कि 6 लाख से क्या बनेगा, कैसे

गरीबों का भला होगा। मैं इन्हें बताना चाहता हूं कि 6 लाख सबसिडी होगी और इसके अगेन्स्ट 16 लाख का लोन भी मिलेगा। इस तरह से जितना रूपया मार्जिनल फार्मर्ज के लिये, समाल फार्मर्ज के लिये, डी.पी.ए.पी. और आई.आर.डी. के लिये बजट में रखा है उससे छोटे किसान, गरीब मजदूर का स्तर ऊंचा होगा। इन शब्दों के साथ मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इन डिमान्डज को पास किया जाए।

Mr. Speaker: I must congratulate the Hon. Minister for giving a very detailed reply.

सहकारिता तथा योजना मंत्री (ठाकुर बीर सिंह): स्पीक साहब, डिमांड न. 22 के बारे में मेरे कुछ साथियों ने कुछ प्वायंटस रेज किये हैं। मैं समझता हूं कि मेरे साथ किसान के खास हितैशी बन गये हैं क्योंकि जितनी देर डिस्कशन चलती रही, किसानक को बेस बनाकर बात करते रहे। इन में ऐसे आदमी भी शामिल हैं जिन्होंने आज किसान का नाम लिया, इसमें पहले उनको किसान के नाम से नफरत थी। मैं समझता हूं कि यह वक्त का तकाजा है, इनको इस रास्ते पर आना ही चाहिए था। अगर वे ठीक रास्ते पर आ गये हैं तो अच्छी बात हैं हाउस में मेरे महकमें के बारे दो–तीन प्वायंटस रेज किये गये, खास तौर पर चौ. हुक्त सिंह और डा. बृज मोहन गुप्ता ने प्वायंटस रेज किये हैं। उन्होंने एक यह बात कही है कि कोआप्रेटिव सोसायटीज में कर्जा लेते वक्त बड़ी तकलीफ होती है। महज दो हजार रूपये का कर्जा लेन

के लिए चार पांच सौ रूपया खर्च करना पड़ता है। डा. साहब ने यहां तक कहा कि गरीब किसानों के नाम पर कर्जा ले किया जाता है, उनके पास वह कर्जा पहुंचता नहीं इसलिए बहुत बड़ी धांधलेबाजी है। मुझे यह कहते हुए अफसोस होता है कि उन्होंने वह सवाल इसलिये उठाया क्योंकि उन्हें महकमें के बारे में पूरा ज्ञान नहीं है। उन्होंने तो यह सवाल इसलिये उठा दिया क्योंकि महकमें का क्रिटिसाइज करना था। स्पीकर साहब, 1 मार्च, 1980 से हमने अपनी ऋण प्रणाली को टोटली चेंज कर दिया है। कैश क्रेडिट सिस्टम को खत्म करके अब हमने चैक बुक ओर पास बुक सिस्टम को शुरू कर दिया है। इस सिस्टम के परिणाम स्वरूप एम्बैजलमैंट के केसिज जिनका यहां जिक्र किय गया, प्रैक्टिकली समाप्त हो गए हैं। इस एक साल के अर्से में एक भी शिकायत हमें नहीं मिली है कि किसी ने दूसरे आदमी का कर्जा ले लिया है। स्पीकर सहाब इसका कारण यह है कि इस सिस्टम के जरिए हमने हरेक आदमी का एम.सी.एल. मुकर्रर कर दिया है। पहले यह एक साल के लिये होता था लेकिन अब तीन साल के लिये होता है। उसकी लिस्ट बैंक में चली जाती है। उसकी एवज में बैंक लोनी को चैक बुक और पास बुक दे देता है पहले सिस्टम यह था कि अगर किसी का एम.सी.एल. 5 हजार मुकर्रर होता था तो उसे सारा पैसा इकट्ठा लेना पड़ता था और उस सारी रक्म पर उस दिन से जिस दिन से वह पैसा लेना था ब्याज देना पड़ता था लेकिन आज लोनी इस कर्जे को उस तरीके से ट्रीट करेगा जिस तरीके से वह अपने पैसे को बैंक में जमा करवाता और निकलवाता हैं मान लो

किसी का 10 हजार एम.सी.एल. फिक्स होता हैं वह अगर पांच हजार रूपया लेना चाहे तो वह चैक काटकर पांच हजार रूपया ले सकता है। उसे इन्ट्रैस्ट पांच हजार रूपये पर ही लगेगा। बाद में यह अगर पैसा बैक में जमा करवाना चाहे तो जमा भी करवा सकता है ओर उसे इंट्रैस्ट उसी हिसाब से लगेगा। स्पीकर साहब, इस सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा यह है कि बीच में कोई नहीं रहा। अब ने तो इंस्पैक्टर के पास जाना पड़ता है और न किसी और के पास जाना पड़ता हैं लोग सीधे बैंक में जाते हैं और पैसा लेकर आते हैं। (विघ्न) बाकायदा अकांउट चैक बुक के पीछे सब कुछ छपा है। पास बुक में भी एंन्ट्री होगी। बीच में किसी की इन्टरफीयरैन्स नहीं होगी।

स्पीकर सहाब, ईश्वर सिंह जी ने क्वैश्चन रेज किया कि तो नोन–ऐग्रीकल्चररिस्टस हैं उनको सिर्फ पांच सौ रूपये कर्जा मिलता है और पांच सौ रूपये आज के जमाने में बिल्कुल न होने के बराबर हैं। यह कर्जा पांच हजार रूपया होना चाहिए। स्पीकर साहब, हमने भी यह महसूस किया कि पांच सौ रूपये का कर्जा बहुत कम है। यह कर्जा भी, स्पीकर साहब, ऐसा नहीं था कि कोई आदमी अपनी मर्जी के मुताबिक उसे ले सके। यह कर्जा वास्तव में नोन–ऐग्रीकल्चरिस्टस को, चाहे वे लेबरर्ज हैं या दूसरे लोग हैं, मिला ही नहीं क्योंकि कंडीशन्ज ही बड़ी सख्त लगी हुई थीं। उदाहरण के तोर पर एक कंडीशन यह थी कि अगर किसी के घर में मौत हो जाए और उसके पास कफन के लिये पैसा न हो, तो

यह कर्जा मिल सकता था। इसी तरह की चार पांच ओर कंडीशन्ज थी। इसलिये इस कर्जे को कोई भी ले नहीं पाता था। मैंने इसकी लिमिट पांच सौ से एक हजार बढ़वा दी है। इसके अलावा हमने यह भी प्रोवीजन किया है कि जिस तरह से कोई इसका इस्तेमाल करना चाहे कर सकता है। इस पर अब कोई पाबन्दी नहीं है।

स्पीकर साहब, आपके द्वारा मैं हाउस के नोटिस में यह बात लाना चाहता हूं कि इस सिस्टम को इंट्रोडयूस करके हमने डिपार्टमेंट में बहुत बड़ा रिफार्म लाया है। (विघ्न) आज देश भर में हरियाणा का कोआप्रेटिव मूवमैंट हर स्फीयर में न. वन पर तस्सुवर किया जाता है। (विघ्न) कुरप्शन टोटली ऐलिमिनेट कर दी गई है।

स्पीकर साहब, डा. साहब ने सवाल उठाया कि रिकवरी नहीं हो रही है, चैकिंग नहीं होती है। एक आदमी के जिम्मे एक लाख रूपये का कर्जा है, वह तो वसूल नहीं किया जाता लेकिन गरीबों से कर्जा ले लिया जाता है उनका कहना यह था कि अमीरों से कर्जा वापिस लिया नहीं जाता। यह बेबुनियाद बात है। स्पीकर साहब, इस महकमें का चार्ज लेने के बाद मैंने 100 परसैन्ट केसिज में वैरिफिकेशन करवाई हैं महकमें ने पहले तो आनाकानी की थी कि इतना बड़ा काम इतनी जल्दी नहीं हो सकता लेकिन मैंने उनसे रिक्वैस्ट की कि आप कृपा करके जनता की भलाई के लिये मुझे यह अवश्य देख कर दीजिए ताकि स्टेट में कोई ऐसा आदमी बाकी न रह जाए जिसने कर्जा तो न लिया हो लेकिन उससे वसूली हो जाए। मैंने यह भी हिदायत दी थी कि इंस्पैक्टर ओर

दूसरे अधिकारी खाली रिपोर्ट लेकर न आएं बल्कि हर इंडिविजुअल की स्टेटमैंट भी रिकार्ड करके आएंगे। रात के बारह–बारह बजे हमारे महकमें के आदमी आदमियों की स्टेटमैंटस लेकर आए हैं कि आया उन्होंने कर्जा लिया है या नहीं। आज सारी स्टेट में कोइ ऐसा केस बाकी नहीं है जिसको हमने टैकल न किया हो। कुछ केसिज ऐसे हैं जो कोर्ट में गए हुए हैं, हाई कोर्ट में गए हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: ठाकुर साहब, जरा टाईम का भी ध्यान रखें।

ठाकुर बीर सिंह: स्पीकर साहब, अपोजिशन के भाईयो ने गन्ने के भाव के सम्बन्ध में भी यहां बहुत शोर मचाया। पिछले सैशन में भी आपने देखा होगा कि चौ. संत कंवर और भले राम जी गन्ने के दो पौधे उठाकर यहां ले आए थे और साफे भी ये हरे बांध कर आए थे मैंने यह देखने के लिये कि इनकी क्या–क्या मांगे हैं। इनका इश्तहार भी पढ़ा था मैंने मुख्यमंत्री जी को उस रोज प्रार्थना भी की थी कि मुझे जवाब देने दीजिए लेकिन उन्होंने स्वयं ही जवाब दे दिया। स्पीकर साहब, उस इश्तहार में इन्होंने जितनी मांगे रखी थी केवल एक मांग को छोड़कर वे सारी की सारी मांगे हम पिछले साल पूरी कर चुके थे (विघ्न) कि गन्ने का भाव 37 रूपये क्विंटल दे दिया जाऐ।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष: ठाकुर साहब, हाउस का टाईम समाप्त हो रहा है क्या आपको अभी और समय चाहिए?

ठाकुर बीर सिंह: जी हां, स्पीकर साहब, थोड़ा टाईम बढ़ा दीजिए।

चौ. राम लाल वधवा: स्पीकर साहब, अब टाईम नहीं बढ़ना चाहिए क्योंकि डबल सीटिंग की वजह से हम सुबह से बन्धे बैठे हैं।

ठाकुर बीर सिंह: कन्फैड के बारे में भी यहां बात कही गई। यह सिस्टम भी स्पीकर साहब, हमारे इंडिया में न. वन पर है।

चौ. बीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, ये पूरा भाशण देंगे इसलिये कल पर छोड़ दीजिए। कल ये चाहे एक घंटा बोलें या दो घंटे बोलें हमें कोई एतराज नहीं।

श्री अध्यक्ष: ठाकुर साहब, अब सब सैटिसफाईड हो गए है। आप कृपया वाइन्डअप कीजिए।

ठाकुर बीर सिंह: स्पीकर साहब, मैं केवल दो मिनट और लूंगा।

Mr. Speaker: In that case the sitting is extended by 10 minutes.

वर्श 1981–82 के बजट की डिमांडज फार ग्रान्टस पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)

ठाकुर बीर सिंह: स्पीकर साहब यहां पर बार–बार सवाल उठाया गया कि कान्फैड में केवल दो कामों के ही लोग भर्ती किये गये हैं (विघ्न) कम से कम दो कौमों का नाम तो आया है लेकिन इससे पहले तो किसी भी कौम को कोई पूछता ही नहीं था। पहले तो सौ में सौ आदमी एक ही कौन के लिये जाया करते थे। दूसरी कौम को कोई पूछता ही नही था। अगर आप चाहे तो मैं आपको लिस्ट दिखा सकता हूं। किसी भी कौम का नाम नहीं होता था। लेकिन चौ. भजन लाल जी की सरकार आने के पश्चात् हरियाणा में कौमियत नाम की कोर्ठ चीज नहीं है यह चीज अब बिल्कुल खत्म हो चुकी है। मेरे एक वरिश्ठ साथी ने विधान सभा में बोलते हुए कहा कि सोनीपत के केवल 15 आदमी हो लगाये हैं। (शोर) उन्होंने यह कहा कि मेरे हल्के सोनीपत के केलव 15 आदमी लगाये हैं। आप अन्दाजा लगायें कुल 90 कांस्टीच्यूसीज हैं। कुल 1100 आदमियों को लगाया गया है। उस हिसाब से इनके हिस्से में लगभग इतने ही आते हैं। हमने एम्पलाएमैंट एक्चेंज से भी आदमी लिए हैं। इसके अलावा बोर्ड भी बना हुआ है, वह भी सिलैक्ट करता है। उसमें गवर्नमैंअ का कोई हाथ नहीं है।

एक बात गुड़गांव बैंक के बारे में उठायी गई। उन्होंने भी यही कहा कि वहां पर भी ज्यादती हो रही है। सिलैक्शन ठीक ढंग से नहीं हुआ। मैं इसके बारे में एक बात और भी कहना

चाहूंगा। इससे पहले जो भी सिलैक्शन हुआ है उसमें और भी ज्यादा इररैगुलेरिटी हुई हैं। अगर इस समय सिलैक्शन में इररैगुलेरिटी हुई है तो उसको हम चैक करके ठीक करेंगे। (शोर) इन शब्दों के साथ मैं हाउस से प्रार्थना करूंगा कि इस डिमांड को पास किया जाये।

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (सरदार तारा सिंह): स्पीकर साहब, मुझे खुशी हुई कि सारी पार्टीज के मैम्बरान ने किसानों के हित की बात की हैं। मैं यह बात दावे से कहता हूं कि इन्होंने जो बातें कही हैं, अपने हदय से नहीं कहीं हैं क्योंकि मुझे शक पैदा होता है कि वे यहां पर कुछ और बात कहते हैं और मन में कुछ और बात रखते हैं। वे अच्छी तरह से समझते हैं कि हम किसानों की भलाई का कमा कर रहे हैं। (शोर)

स्पीकर साहब मैं किसी भी व्यक्ति का यहां पर नाम नहीं ले रहा हूं लेकिन जिसके मन में चोर होगा वह अपने आप बोलेगा। कई मेम्बरान ने यहां पर बिजली के बारे में कहा कि जमीदारों को बिजली रात को मिलती है, ट्रिपिंग करनी होती है, वोलटेज कम होती है, मीटर जल जाते हैं। स्पीकर साहब आप उस समय यहां पर मौजूद नहीं थे लेकिन रिकार्ड में यह बात आयी है और इन्होंने धमकी दी है कि अगर बिजली कर्मचारियों को बहाल नहीं किया, उनकी बात नहीं मानी गई, तो वे दोबारा स्ट्राईक कर देंगे। (शोर) हमने जिन कर्मचारियों के खिलाफ केस बनाये हैं वे अभी पैन्डिग हैं। अगर अपोजीशन के भाई यह कहें कि उन

कर्मचारियों के खिलाफ केसिज वापिस न लोगे तेा वे फिर हड़ताल कर देंगे। इसका मतलब यह है कि ये लोग उनकी इमदाद करना चाहते हैं उनको भड़काना चाहते हैं। (शोर) एक भाई ने कहा कि बादल में बिजली है लेकिन तारों में बिजली नहीं है। कहीं तार को हाथ न लगा देना। अगर ऐसा कर दिया तो आपका और भी नुक्सान हो जायेगा।

स्पीकर साहब, यहां हाउस में एस.वाई.एल. के बारे में कहा गया कि इस सरकार को नेक–नीयती से काम करना चाहिए। मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि हमारी कई मीटिंगें हो चुकी हैं। अभी पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी प्राईम मिनिस्टर महोदय से मिल कर आये हैं। प्राईम मिनिस्टर के सैक्रेटरी ने राजस्थान और पंजाब के चीफ सैक्रेटरीज से बातचीत भी की है। हमने सुप्रीम कोर्ट मैं भी केस फाईल किया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा, पंजाब और राजस्थान को अलग अलग डेट दे रखी है। हम आशा करते हैं कि इसका कुछ न कुछ हल जरूर निकलेगा।

स्पीकर साहब, क्वैश्चन आवर में भी एक बात आयी थी कि पानी एक मिलता है और आबियाना मुक्म्मल लगा दिया जाता है। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि इस साल सन् 1980–81 में सब से ज्यादा सिंचाई हुई है। दस लाख एकड़ तकरीबन रबी फसल की सिंचाई हुई है। यह पुराने सारे रिकार्ड तोड़ देता है। इन शब्दों के साथ मैं अर्ज करूंगा कि इस डिमांड को पास किया जायें।

Mr. Speaker: Now I will put the various demands to the vote of the House.

Mr. Speaker: Question is –

That a sum not exceedings Rs. 48026935 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1981-82 in respect of the charges under **Demand No. 4- Revenue**.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is –

That a sum not exceedings Rs. 541022665 for revenue expenditure and Rs. 811050250 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1981-82 in respect of the charges under **Demand No. 15- Irrigation**.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is –

That a sum not exceedings Rs. 375502500 for revenue expenditure and Rs. 2857200 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1981-82 in respect of the charges under **Demand No. 17-Agriculture**.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is –

That a sum not exceedings Rs. 144446030 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1981-82 in respect of the charges under **Demand No. 21-Community Development**.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is –

That a sum not exceedings Rs. 42510200 for revenue expenditure and Rs. 90603600 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1981-82 in respect of the charges under **Demand no. 22-Cooperation**.

The motion was carried.

श्री अध्यक्ष: अब सदन कल दिनांक 25.3.1981 प्रातः 9. 30 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है।

1*.38 बजे

(तत्पश्चात सदन बुधवार दिनांक 25.3.81 को प्रातः 9.30 बजे तक के लिए *स्थगित हुआ।)